29

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति
(2021-2022)

सत्रहवीं लोक सभा

खान मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2022-23)

उनतीसवां प्रतिवेदन

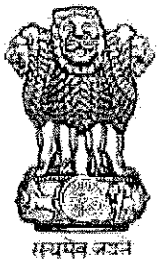

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2022/ चैत्र,1944(शक)

उनतीसवां प्रतिवेदन

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

(2021-2022)

सत्रहवीं लोक सभा

खान मंत्रालय

अनुदानों की मांगें

(2022-23)

22.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

22.03.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/चैत्र,1944(शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति की संरचना.....		(i)
प्राक्कथन.....		(ii)
	भाग-एक	
अध्याय एक	प्रस्तावना.....	1
अध्याय दो	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई).....	10
अध्याय तीन	भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम).....	25
अध्याय चार	राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी).....	30
अध्याय पांच	केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम.....	34
	क. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल)	34
	ख. नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को)	42
अध्याय छह	जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) और प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई).....	45
	भाग-दो	
	कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियां/सिफारिशें.....	50 48
	अनुबंध	
एक.	कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 22.02.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	61
दो.*	कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 21.03.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	

* संलग्न नहीं है।

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्री राकेश सिंह - सभापति

<u>लोक सभा</u>

2. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायणधानोरकर
3. श्री विजय कुमार हांसदाक
4. श्री कुनार हेम्ब्रम
5. श्री सी. पी. जोशी
6. श्री सौमित्र खान
7. श्री सी. लालरोसांगा
8. श्री एस. मुनिस्वामी
9. श्री अजय निषाद
10. श्री बसंत कुमार पांडा
11. श्रीमती रीती पाठक
12. श्री एस.आर.पार्थिबन
13. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी
14. श्री चुन्नी लाल साहु
15. श्री अरुण साव
16. श्री पशुपति नाथ सिंह
17. श्री सुनील कुमार सिंह
18. श्री सुशील कुमार सिंह
19. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
20. डॉ.तिरुमावलवनथोल
21. श्री अशोक कुमार यादव#

डॉ.लोरहो एस. फ़ोज के स्थान पर दिनांक *07.02.2022* से समिति के लिए नामनिर्दिष्ट

राज्य सभा

22. श्री सुब्रत बक्शी
23. डॉ. विकास महात्मे
24. डॉ. प्रशांत नन्दा
25. श्री राम विचार नेताम
26. श्री समीर उरांव
27. श्री दीपक प्रकाश
28. श्री धीरज प्रसाद साहू
29. श्री शिबू सोरेन
30. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी
31. श्री बी. लिंगैय्या यादव

सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	संयुक्त सचिव
2. श्री अरविंद शर्मा	-	निदेशक
3. श्रीमती मधु टंडन	-	अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर, खान मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' विषयक समिति का यह उनतीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगें 09.02.2022 को सभा पटल पर रखी गयीं थीं। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331ङ के अंतर्गत कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति को समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर विचार करना होता है और उन पर संसद की दोनों सभाओं में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने होते हैं ।

3. समिति ने 22.02.2022 को हुई अपनी बैठक में खान मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया ।

4. समिति ने 21.03.2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, समिति के समक्ष अपने लिखित उत्तर प्रस्तुत करने में सहयोग देने और सुविचारित मत तथा अवधारणा प्रस्तुत करने हेतु कोयला मंत्रालय के अधिकारियों का आभार व्यक्त करती है।

6. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए उनकी सराहना करती है।

7. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली;
21 मार्च, 2022
30 फाल्गुन, 1943(शक)

राकेश सिंह
सभापति,
कोयला, खान और इस्पात संबंधी
स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग - एक

अध्याय एक

प्रस्तावना

खनन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।भारत कोयला, बॉक्साइट, चूना-पत्थर, लौह अयस्क, मैंगनीज, तांबा अयस्क आदि जैसे धातु और अधातु दोनों खनिज संसाधनों से संपन्न है, जिनका उपयोग बहुत से उद्योगों में महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में होता हैं और ये औद्योगिक और अवसंरचना विकास के लिए एक प्रमुख संसाधन हैं। स्वतंत्रता के बाद खनिज उत्पादन में मात्रा और मूल्य दोनों ही दृष्टि से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत **95** खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें **4** ईंधन, **10** धातु, **23** गैर-धातु, **3** परमाणु और **55** गौण खनिज शामिल हैं* (जिनमें भवन और अन्य सामग्री जैसे साधारण रेत, बजरी, मिट्टी, बोल्डर, ब्रिकअर्थ आदि शामिल हैं।)

1.2 यद्यपि, खनिज उत्पादन का कुल मूल्य वर्षों से लगातार बढ़ रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में देश के विकास के लिए खनन क्षेत्र का विकास आवश्यक है। भारत को भू-विज्ञान में क्षमता निर्माण, खनन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा विदेशों में खनन परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता है। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (2021-22) के अनुसार, यह खनिज समृद्ध देशों के साथ भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है ताकि खनिजों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, विशेष रूप से उन खनिजों की , जिनका उत्पादन भारत में नहीं होता हैं। देश। साथ ही, इसका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग ऑस्ट्रेलिया, रूस, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों जैसे देशों के साथ सहयोग में लगा हुआ है। इसके अलावा भारतीय खनन क्षेत्र विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत इंडिया पवेलियन की स्थापना करके,हाल ही में किए गए सुधारों और भारत में खनिज क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के बारे में प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुतीकरण देकर भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खनन कार्यक्रमों में भाग ले रहा है।भारत में राष्ट्रीय खनिज नीति , 2019 लागू है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, विनियमन और प्रवर्तन के साथ-साथ स्थायी खनन प्रथाओं को लाने के लिए और अधिक प्रभावी, सार्थक और कार्यान्वयन योग्य नीति तैयार करना है।

**एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, गौण खनिजों के खनन का प्रशासन पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं।*

1.3 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, खान मंत्रालय प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और परमाणु खनिजों और कोयले के अलावा सभी खनिजों के सर्वेक्षण, अन्वेषण और खनन के लिए उत्तरदायी है। परमाणु खनिज और कोयले के मामले में मंत्रालय की भूमिका क्षेत्रीय अन्वेषण तक सीमित है। मंत्रालय कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम और परमाणु खनिजों के अलावा सभी खानों और खनिजों के संबंध में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, (1957 का 67) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों को भी प्रशासित करता है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) केंद्रीय अधिनियम है जो केंद्र सरकार में निहित शक्तियों के संदर्भ में खानों और खनिजों के विकास और विनियमन को नियंत्रित करता है। समिति ने पाया कि उक्त अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन लाए गए हैं, जैसा कि निम्नलिखित पैराओं में उल्लेख किया गया है।

1.4 2015 से पहले, खनिज संसाधनों का अनुदान 'पहले आओ-पहले पाओ' पद्धति के माध्यम से किया जाता था। एमएमडीआर अधिनियम में एक प्रमुख संशोधन वर्ष 2015 में लाया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबंध हैं: -

i अधिक पारदर्शिता के लिए ई-नीलामी के माध्यम से खनन पट्टे का आवंटन।

ii. जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की स्थापना के लिए उपबंध ।

1.5 2016 में एमएमडीआर अधिनियम में और संशोधन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार नीलामी के अलावा अन्य आवंटित कैप्टिव पट्टों के हस्तांतरण की अनुमति देने का प्रावधान किया गया।खनिज कानून संशोधन अधिनियम, 2020, अन्य बातों के साथ-साथ, पिछले पट्टेदार के पास निहित सभी वैधानिक मंजूरी को दो साल की अवधि के लिए नए सफल बोलीदाता को हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है।

1.6 मंत्रालय ने हाल ही में एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन किया है जिसे 28 मार्च 2021 को अधिसूचित किया गया था । इस संशोधन में लाए गए प्रमुख सुधार निम्नानुसार हैं::

- कैप्टिव और मर्चेंट माइंस के बीच के अंतर को समाप्त किया।

- अधिनियम की धारा 10ए(2)(बी) के तहत सभी लंबित मामलों का समाधान किया गया।

- वैधानिक मंजूरी खनन पट्टे की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी वैध होगी।

- व्यवसाय करने में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए खनिज रियायतों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध हटा दिया गया।

- नया पट्टा या पट्टे के विस्तार के अनुदान पर सरकारी कंपनियों द्वारा भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि।

- केंद्र सरकार को उन मामलों में नीलामी करने का अधिकार है जहां राज्यों को नीलामी के संचालन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या निर्धारित समय के भीतर नीलामी आयोजित करने में विफल रहता है।

- केंद्र सरकार को डीएमएफ के तहत निधियों के संयोजन और उपयोग के संबंध में निर्देश जारी करने का अधिकार दिया। गवर्निंग काउंसिल में सांसदों/एमएल और एमएलसी को शामिल करने का निर्देश 23.04.2021 को जारी किया गया था।

- अन्वेषण व्यवस्था का सरलीकरण -

- (i) समग्र लाइसेंस के लिए खनिज ब्लॉकों की नीलामी जी3 स्तर के बजाय जी4 स्तर की अन्वेषण पर की जा सकती है।

- (ii) सतही खनिज के लिए खनिज ब्लॉक की नीलामी जी2 स्तर के बजाय जी3 स्तर पर खनन पट्टा प्रदान करने के लिए की जा सकती है।

- (iii) अन्वेषण के संचालन के लिए निजी संस्थाओं को एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अधिसूचित किया जाएगा।

1.7 खान मंत्रालय को आवंटित विषयों की सूची इस प्रकार है:-

(क) भारत के प्रादेशिक जल या महाद्वीपीय शेल्फ या आननी आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्रों के भीतर महासागर में अंतर्निहित खानों और खनिजों सहित भारत के क्षेत्र के भीतर खानों

के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए विधान बनाना जैसा कि समय-समय पर या किसी कानून के तहत संसद द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(ख) कोयला, लिग्नाइट और भूगर्त भरण बालू तथा कोई अन्य खनिज जिसे संघ के नियंत्रण के अधीन परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के प्रयोजन से कानून द्वारा किसी भी अन्य खनिज को निर्धारित तत्व घोषित किया गया हो, को छोड़कर खानों का विनियमन और खनिजों का विकास इसमें अलग-अलग राज्यों म्में खनिजों विनियमन एवं विकास से संबन्धित ऐसे मामले और मुद्दे भी शामिल हैं, जो उनसे जुड़े हैं अथवा उनके कारण हैं।

(ग) अन्य सभी धातुएं और खनिज जो किसी अन्य मंत्रालय / विभाग को विशेष रूप से आवंटित नहीं किए गए हैं, जैसे एल्यूमीनियम, जस्ता, तांबा, सोना, हीरा, सीसा और निकल।

(घ) मंत्रालय से संबंध सभी संस्थानों की योजना, विकास और सहायता।

(ङ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का प्रशासन और प्रबंधन।

(च) भारतीय खान ब्यूरो का प्रशासन और प्रबंधन।

(छ) धातुकर्मीय ग्रेड सिलिकॉन।

1.8 खान मंत्रालय के निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय हैं, अर्थात्:-

(एक) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (कोलकाता में मुख्यालय), सम्बद्ध कार्यालय; तथा

(दो) भारतीय खान ब्यूरो (नागपुर में मुख्यालय), मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय।

1.9 निम्नलिखित तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) खान मंत्रालय के अधीन हैं, अर्थात्:-

(एक) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर;

(दो) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल), कोलकाता; तथा

(तीन) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल), नागपुर।

1.10 निम्नलिखित दो स्वायत्त अनुसंधान संस्थान खान मंत्रालय के अधीन हैं, नामत:-

(एक) जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केंद्र (जेएनएआरडीडीसी) नागपुर;

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स, (एनआईआरएम), बेंगलुरु;

अनुदानों की मांग (2022-23)/2020-21 और 2021-22 के दौरान कार्यनिष्पादन

1.11_खान मंत्रालय की विस्तृत अनुदान मांगों **(2022-23)** को **09.02.2022** को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। मंत्रालय की अनुदान मांगों में मंत्रालय, इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के तहत व्यय का प्रावधान शामिल है।

1.12 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), और एस एंड टी कार्यक्रम द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के लिए राजस्व और पूंजी के तहत बजटीय सहायता प्राप्त की जाती है।जीएसआई, आईबीएम, सचिवालय (उचित), स्वायत्त निकायों को सहायता अनुदान आदि के लिए भी राजस्व प्रावधान प्राप्त किया जाता है।समिति को प्रस्तुत प्रस्तावित और आवंटित बीई-2022-23 का संगठन-वार विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	संगठन/ कार्यक्रम	प्रस्तावित	आवंटित
		बीई 2022-23	**बीई 2022-23**
1	सचिवालय (मुख्य)	43.64	43.64
2	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	1323.32	1205.17
3	भारतीय खान ब्यूरो	131.57	113.00

4	**एमईसीएल को अनुदान**	20.00	10.00
5	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड - **अनुदान**	6.40	6.00
6	*विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/अन्य कार्यक्रम* (6.1 *से* 6.6)	**33.92**	**30.19**
6.1	**एनआईआरएम**	11.17	9.42
6.2	**एन आई एम एच**	0.00	0.00
6.3	**जेएनएआरडीडीसी**	12.70	12.70
6.4	**आईसी**	0.35	0.35
6.5	**एनएमए**	0.70	0.70
6.6	अन्य अनुसंधान कार्यक्रम	9.00	7.02
7	**एनएमईटी**	184.00	100.00
	शुद्ध बजट	**1742.85**	**1508.00**
8	एन एम ई टी इंटर अकाउंट ट्रांसफर	184.00	100.00
	कुल योग	**1926.85**	**1608.00**

1.13 यह बताया गया कि बीई 2022-23 के लिए वास्तविक आवंटित बजट और खान मंत्रालय द्वारा इसके लिए प्रस्तावित के बीच अंतर वित्त मंत्रालय के विवेक पर था।

व्यय की प्रवृत्ति

1.14 पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान प्रवृत्ति को देखने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत वर्ष **2019-20, 2020-21** और **2021-22** के लिए खान मंत्रालय के प्रस्तावित आवंटन, बीई, आरई और वास्तविक व्यय के संबंध में विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
प्रस्तावित आवंटन	1954.75	1997.86	1828.70
बीई	1675.55	1701.40	1466.82
आरई	1528.22	1370.68	1480.00
वास्तविक व्यय	1366.68	1345.33	1315.53 (18.02.2022 तक)
व्यय का %	**89.42**	**98.15**	**88.88(18.02.2022 तक)**

1.15 2020-21 और 2021-22 के दौरान खान मंत्रालय के कार्य निष्पादन को दर्शाने वाली तालिका निम्नलिखित है::-

अनुदानों की मांगों का सारांश

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	संगठन का नाम	**2019-20**			**2020-21**			**2021-22**		
		बीई	आर ई	व्यय	बीई	आर ई	व्यय	बीई	आर ई	**31.01.2022** तक व्यय
1	सचिवालय	48.55	41.75	39.11	42.43	41.89	37.99	41.50	43.96	38.52

	(मुख्य)									
2	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	1322.93	1241.59	1139.64	1349.98	1115.01	1108.84	1181.58	1174.78	1019.63
3	भारतीय खान ब्यूरो	124.31	109.11	94.55	128.31	94.00	85.67	110.00	103.14	82.24
4	एमईसीएल को अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड-अनुदान	4.50	4.50	4.50	5.50	7.00	5.84	5.84	5.84	4.66
6	**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम/अन्य कार्यक्रम (*6.1* से *6.6)***	25.26	21.27	20.57	25.18	22.78	29.72	27.90	27.28	20.17
6.1	एनआईआरएम	7.99	6.74	6.74	8.21	8.21	8.21	9.95	9.95	7.73
6.2	एनआईएमएच	0.98	0.98	0.98	1.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
6.3	जेएनएआरडीडीसी	9.29	9.29	9.29	9.92	9.92	9.92	10.90	10.90	9.04
6.4	आईसी	0.35	0.35	0.15	0.40	0.35	0.29	0.40	0.43	0.28
6.5	एनएमए	0.65	0.65	0.15	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00
6.6	अन्य अनुसंधान	6.00	3.26	3.26	5.00	4.00	4.00	6.00	6.00	3.12

	कार्यक्रम									
7	एनएमईटी	150.00	110.00	68.31	150.00	90.00	83.11	100.00	125.00	69.11
	योग	**1675.55**	**1528.22**	**1366.68**	**1701.40**	**1370.68**	**1345.33**	**1466.82**	**1480.00**	**1234.33***

***18.2.2022** को 1315.53 करोड़ रुपए के रूप में संशोधित ।

अध्याय –दो

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)

समिति को सूचित किया गया कि 1851 में स्थापित, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने क्षेत्रीय स्तर की खोज के साथ देश के कोयले और खनिज संसाधनों की खोज और आकलन करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। बाद के वर्षों में, जीएसआई ने विभिन्न भू-वैज्ञानिक गतिविधियों में विविधता लाई, और भू-विज्ञान में योगदान दिया और परिणामस्वरूप, भारत के आर्थिक विकास में योगदान दिया। जीएसआई के प्रमुख कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचनाओं का निर्माण और अद्यतन और खनिज संसाधनों का मूल्यांकन हैं। इनके लिए, जीएसआई ने जमीनी, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण, खनिज अन्वेषण, बहु-विषयक भूवैज्ञानिक, भू-तकनीकी, भू-पर्यावरण और प्राकृतिक खतरे के अध्ययन, हिमनद विज्ञान, भूकंप विज्ञान और मौलिक अनुसंधान किए हैं।

2.2 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जीएसआई के लिए बजट आवंटन का विस्तृत मद शीर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण			
शीर्ष	जीएसआई	एनईआर	योग
स्थापना व्यय			
निर्देश और प्रशासन (प्रशासनिक सहायता))			
वेतन	67900.00	5600.00	73500.00
मजदूरी s	1650.00	0.00	1650.00
समयोपरि भत्ता	1.00	0.00	1.00
चिकित्सा उपचार	750.00	0.00	750.00
कार्यालयी व्यय [OE (V)]	600.00	0.00	600.00

अन्य प्रशासनिक व्यय (O. A. E.)	300.00	0.00	300.00
स्वच्छता कार्य योजना (अन्य प्रभार)	60.00	0.00	60.00
जोड़	**71261.00**	**5600.00**	**76861.00**
प्रशासनिक सहायता गतिविधियाँ **(ASA)**			
घरेलू यात्रा व्यय (DTE)	3600.00	200.00	3800.00
विदेश यात्रा व्यय (FTE)	50.00	0.00	50.00
कार्यालय व्यय (OE)	1550.00	200.00	1750.00
किराया, दरें और कर (RRT)	460.00	40.00	500.00
व्यावसायिक सेवाएँ	98.00	2.00	100.00
जोड़	**5758.00**	**442.00**	**6200.00**
अन्य व्यय			
आपूर्ति और सामग्री	80.00	5.00	85.00
कपड़े और तम्बू	1.00	0.00	1.00
विज्ञापन और प्रचार	196.00	4.00	200.00
गौण कार्य	3500.00	0.00	3500.00
जोड़ (अन्य व्यय)	**3777.00**	**9.00**	**3786.00**
कुल एएसए + अन्य व्यय	**9535.00**	**451.00**	**9986.00**
कार्यकलाप मिशन			

सर्वेक्षण और मानचित्रण (मिशन-I)			
भूमि, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण			
मजदूरी	474.00	26.00	500.00
पीओएल	72.00	8.00	80.00
ओसी	10286.00	26.00	10312.00
जोड़	**10832.00**	**60.00**	**10892.00**
खनिज अन्वेषण (मिशन-II)			
आर्थिक खनिज			
मजदूरी	1345.00	55.00	1400.00
पीओएल	600.00	20.00	620.00
ओसी	3190.00	60.00	3250.00
जोड़	**5135.00**	**135.00**	**5270.00**
सूचना प्रसार (मिशन-III)			
प्रकाशन	346.00	4.00	350.00
आईटी	4150.00	50.00	4200.00
जोड़	**4496.00**	**54.00**	**4550.00**
विशेष अन्वेषण			
भू-तकनीक, भूकंपीय, पर्यावरण (मिशन-IV)			

मजदूरी	125.00	15.00	140.00
पीओएल	30.00	10.00	40.00
ओसी	140.00	20.00	160.00
जोड़	295.00	45.00	340.00
अंटार्कटिका (मिशन-IV)			
अन्य प्रभार (ओसी)	8.00	0.00	8.00
कुल Spl. जांच + अंटार्कटिका (मिशन-IV))	**303.00**	**45.00**	**348.00**
अनुसंधान और विकास (मिशन-IV)			
प्रयोगशाला अनुसंधान			
मजदूरी	110.00	10.00	120.00
आपूर्ति और सामग्री	638.00	12.00	650.00
पीओएल	30.00	0.00	30.00
अन्य प्रभार (ओसी)	735.00	15.00	750.00
जोड़	**1513.00**	**37.00**	**1550.00**
प्रशिक्षण (मिशन-V)			
मानव संसाधन विकास			
अन्य प्रशासनिक खर्च	192.00	8.00	200.00
कुल	**192.00**	**8.00**	**200.00**

जनजातीय उप योजना (टीएसपी) ओई	**2000.00**	**0.00**	**2000.00**
अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) ओई	**3110.00**	**0.00**	**3110.00**
कुल (राजस्व)	**108377.00**	**6390.00**	**114767.00**
पूँजीगत व्यय			
मोटर वाहन	240.00	10.00	250.00
मशीनरी और उपकरण	5450.00	50.00	5500.00
कुल (पूंजी)	**5690.00**	**60.00**	**5750.00**
सकल जोड़ (राजस्व+पूंजी)	**114067.00**	**6450.00**	**120517.00**

2.3 पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2019-20, 2020-21 और 2021-22) के दौरान अनुमोदित बजट परिव्यय की तुलना में जीएसआई का वर्ष-वार और गतिविधि-वार वित्तीय प्रदर्शन नीचे दिया गया है: -

(₹ करोड़ में)

	2019-20			2020-21			2021-22		
	बीई अनुदान	आरई अनुदान	वास्तविक व्यय .	बीई अनुदान	आरई अनुदान	वास्तविक व्यय .	बीई अनुदान	आरई अनुदान	वास्तविक व्यय(दिस.22 तक) .
गतिविधि (मिशन)	109.85	132.30	131.43	149.00	132.85	132.28	131.40	95.00	77.42
सर्वेक्षण और मानचित्रण (एम-आई)	45.65	37.05	36.34	43.00	32.05	31.91	51.00	56.00	36.20

खनिज अन्वेषण (एम-द्वितीय) सूचना प्रसार (एम-III))	78.46	39.45	38.39	77.26	48.85	48.73	56.60	53.20	29.28
विशेष जांच और अंटार्कटिका (एम-IV)	2.52	2.04	1.93	2.50	1.99	1.91	2.40	3.05	1.99
अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) (एम-IV)	12.15	10.05	9.72	17.80	8.95	8.71	12.60	10.55	7.51
मानव संसाधन विकास (एचआरडी) (एम-V)	75.47	75.20	17.55	3.30	0.60	0.60	2.00	8.30*	0.68
टीएसपी	24.00	24.00	23.80	22.00	23.23	23.14	14.40	17.50	14.73
टीसीएसपी	45.00	45.00	20.08	42.20	42.20	40.69	27.60	31.56	27.76
एमओयूडी के लिए गौण कार्य प्राधिकर सहित प्रशासनिक सहायता गतिविधि	106.08	90.99	89.82	111.90	84.50	82.78	94.97	88.61	75.75
स्थापना व्यय	722.35	704.81	692.79	772.72	688.60	688.47	722.71	759.71	627.80
कुल राजस्व	**1221.53**	**1160.89**	**1061.85**	**1241.68**	**1063.82**	**1059.22**	**1115.68**	**1123.48**	**899.12**
पूंजी (आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन))	**101.40**	**80.70**	**79.75**	**108.30**	**52.42**	**51.72**	**65.9**	**51.30**	**34.87**
कुल (राजस्व .+पूंजी)	**1322.93**	**1241.59**	**1141.60**	**1349.98**	**1116.24**	**1110.94**	**1181.58**	**1174.78**	**933.99**

आरई अनुदान के विरुद्ध निधि के उपयोग का %			91.95%			99.53%			79.50%

** 36 वें आईजीसी-2020 के लिए निर्धारित आरई 2021-22 में अनुदान-सहायता जनरल के रूप में 7.00 करोड़ रुपये का नया आवंटन शामिल है और निधि को आईजीसी सोसायटी को हस्तांतरित किया जाएगा।*

2.4 पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2019-20, 2020-21 और 2021-22) के दौरान विभिन्न शीर्षों में बजट परिव्यय की प्रतिशतवार वृद्धि/कमी नीचे दी गई है: -

(करोड़ रुपए में)

गतिविधि (मिशन))	वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आरई	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आरई	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आरई	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आरई	आरई 2019-20 (%) की तुलना में आरई 2020-21 में % वृद्धि (+) या कमी (-)	आरई 2020-21 (%) की तुलना में आरई 2021-22 में % वृद्धि (+) या कमी (-)	आरई 2021-22 (%) की तुलना में बीई 2022-23 में % वृद्धि (+) या कमी (-)
1	2	3	4	5	6 [(3-2)/2 *100]	7 [(4-3)/3 *100]	8[(5-4)/4 *100]
सर्वेक्षण और मानचित्रण (एम -I))	132.30	132.85	95.00	108.92	**0.42**	**-28.49**	**14.65**
खनिज अन्वेषण (M-II)	37.05	32.05	56.00	52.70	**-13.50**	**74.73**	**-5.89**
सूचना प्रसार [आईटी और प्रकाशन] (एम-III)	39.45	48.85	53.20	45.50	**23.83**	**8.90**	**-14.47**
विशेष जांच और	2.04	1.99	3.05	3.48	**-2.45**	**53.27**	**14.10**

अंटार्कटिका (एम -IV)							
आर अँड डी (एम - IV)	10.05	8.95	10.55	15.50	**-10.95**	**17.88**	**46.92**
एचआरडी (एम -V)	75.20	0.60	8.30*	2.00	**-99.20**	**1283.33**	**-75.90**
टीएसपी	24.00	23.23	17.50	20.00	**-3.21**	**-24.67**	**14.29**
एससीएसपी	45.00	42.20	31.56	31.10	**-6.22**	**-25.21**	**-1.46**
स्थापना व्यय और अन्य व्यय	795.80	773.10	848.32	868.47	**-2.85**	**9.73**	**2.38**
कुल (राजस्व).)	1160.89	1063.82	1123.48	1147.67	**-9.12**	**5.73**	**2.15**
आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन [कैपिटा हेड: एम एंड ई + एमवी]	**80.70**	**52.42**	**51.30**	**57.50**	**-35.04**	**-2.14**	**12.09**
जोड़ (राजस्व+पूंजी)	**1241.59**	**1116.24**	**1174.78**	**1205.17**	**-10.10**	**5.24**	**2.59**

** इसमें 36वें आईजीसी-2020 के लिए निर्धारित आरई 2021-22 में अनुदान-सहायता जनरल के रूप में 7.00 करोड़ रुपये का नया आवंटन शामिल है और निधि को आईजीसी सोसायटी को हस्तांतरित किया जाएगा।*

2.5 समिति को सूचित किया गया है कि बीई (2020-21) और बीई (2021-22) में जीएसआई का बजटीय आवंटन क्रमशः 1349.98 करोड़ रुपये और 1181.58 करोड़ रुपये था, जिसे आरई चरण में घटाकर क्रमशः 1116.24 करोड़ रुपये और 1174.78 करोड़ रुपये कर दिया गया था। (2020-21) और (2021-22) (31.01.2022 तक) के दौरान निधियों का वास्तविक उपयोग क्रमशः 1108.84 करोड़ रुपये और 1019.63 करोड़ रुपये था। वर्ष 2022-23 के लिए बीई 1205.17 करोड़ रुपये है।

2.6 समिति ने आरई 2021-22 पर जीएसआई को निधियों के आवंटन में कमी के कारणों को जानना चाहा। जवाब में, यह कहा गया है कि 2021-22 के दौरान, जीएसआई को 1181.58 करोड़ रुपये का बजट अनुदान मिला। तदनुसार, जीएसआई ने सभी कार्यकलापों के लिए गतिविधि-वार निधि आबंटन किया। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने 30.06.21 को कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए 2021-22 की दूसरी तिमाही के दौरान बीई-2021-22 के 20% के भीतर जीएसआई के समग्र व्यय को प्रतिबंधित कर दिया।. तथापि, जीएसआई को दूसरी तिमाही में अतिरिक्त राशि प्रदान की गई थी और जीएसआई ने निधि का इष्टतम उपयोग किया है। आरई चरण में, बजट अनुदान को मामूली रूप से घटाकर 1174.78 करोड़ रुपये कर दिया गया था। साथ ही राजस्व मद के तहत अनुदान में मामूली वृद्धि हुई थी। इसके अतिरिक्त खान मंत्रालय द्वारा आरई अनुदान से 440 करोड़ रुपये का पुन विनियोजन किया गया है। इसलिए 1170.38 करोड़ रुपये (राजस्व 1119.08 करोड़ रुपये और पूंजीगत 51.30 करोड़ रुपये) 2021-22 के दौरान सभी गतिविधियों के लिए जीएसआई के पास उपलब्ध अंतिम अनुदान है।

2.7 समिति को यह भी बताया गया है कि निधि की कमी को देखते हुए, जीएसआई ने निधि के इष्टतम उपयोग के साथ कार्य सत्र 2021-22 के लिए वास्तकविक लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्व और पूंजी शीर्षों के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए विवेकपूर्ण ढंग से पुनः आवंटित किया है। कोविड महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के बावजूद इस कुल आरई अनुदान में से 7 फरवरी, 2022 तक निधि का कुल उपयोग 1032.53 करोड़ रुपये (88.22%) है, जिसमें शहरी विकास मंत्रालय को 25.47 करोड़ रुपये का गौण कार्य स्वीकृति शामिल है । जीएसआई ने शेष वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सभी मिशनों के तहत निधि के इष्टतम उपयोग के द्वारा अधिकांश गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

2.8 इस बारे में पूछे जाने पर कि वर्ष के दौरान जीएसआई की परियोजनाओं के कार्यान्वयन को कम किए गए धन ने कैसे प्रभावित किया है, यह बताया गया है कि जीएसआई ने 2021-22 के दौरान 981 परियोजनाओं को शुरू किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा व्यय की सीमा को वापस लेने के बाद, जीएसआई ने तीसरी और चौथी तिमाही (अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2022) के दौरान सभी मिशनों के तहत अधिकांश गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। कोविड महामारी के कारण उत्पन्न चुनौती के बावजूद, जीएसआई निधि के अधिकतम उपयोग के साथ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय और वास्तिविक दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जीएसआई द्वारा निम्नलिखित सक्रिय कदम उठाए गए हैं:

*पूरे देश में कोविड महामारी के कारण, जीएसआई भूवैज्ञानिकों के लिए क्षेत्रीय परियोजनाओं का निष्पादन अब एक बड़ी चुनौती है। क्षेत्रीय अधिकारियों को भारत सरकार के एसओपी के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है और क्षेत्रीय अधिकारियों और फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ की सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती उपाय किए गए हैं।

*क्षेत्रीय परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सभी क्षेत्रों/मिशनों को बजट अनुदान आवंटित किया गया है और यह अनुमान है कि एफएसपी अनुसूची के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधि पर्याप्त होगी।

*मानचित्रण और खनिज गवेषण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए अत्यधिक प्रयास किए जा रहे हैं।

*ड्रिलिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आंतरिक ड्रिलिंग क्षमता के अलावा, पैनल में शामिल आउटसोर्स ड्रिलिंग एजेंसियों को कुछ अन्वेषण परियोजनाओं में तैनात किया जा रहा है।

*संबंधित क्षेत्र परियोजनाओं में राज्य सरकार के अधिकारियों को क्षेत्रीय परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सभी सहायता प्रदान करने के लिए सूचित किया गया है और जीएसआई के संबंधित अधिकारी किसी भी क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय करते हैं।

*पर्यवेक्षी स्तर के अधिकारी क्षेत्र की उपलब्धियों की प्रगति की लगातार निगरानी कर रहे हैं और बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करने वाली सभी परियोजनाओं की अवधि समीक्षा की गई है ताकि लक्ष्य की उपलब्धि सुनिश्चित हो सके जिससे क्षेत्रीय कार्य का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हो सके।

*निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के सभी प्रयासों के बावजूद, यदि जीएसआई किसी विशेष परियोजना/गतिविधि के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो इसे अगले कार्य सत्र में अतिरिक्त स्पिल ओवर आइटम के रूप में पूरा किया जाएगा।

2.9 खान मंत्रालय के अनुसार जीएसआई के लिए 1205.17 करोड़ रुपये का बीई, 2022-23, 1181.58 करोड़ रुपये के बीई, 2021-22 की तुलना में अधिक है।यह पूछे जाने पर कि जीएसआई ने 2022-23 के दौरान धन के उच्च आवंटन को कैसे खर्च करने का प्रस्ताव रखा है, मंत्रालय ने बताया है कि पांच मिशनों में जीएसआई की सभी गतिविधियों को जारी रखने, प्रशासनिक और स्थापना व्यय में वृद्धि और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए बढ़ी हुई निधि की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 का व्यय, यदि कोई हो।1205.17 करोड़ रुपये के

कुल आवंटित बजट अनुदान में से 64.50 करोड़ रुपये एनईआर की सभी गतिविधियों के लिए आवंटित किए गए हैं।स्थापना व्यय के लिए आवंटित परिव्यय 768.61 करोड़ रुपये और प्रशासनिक सहायता गतिविधियों और अन्य व्यय के लिए 99.86 करोड़ रुपये है।जीएसआई मिशन (आई से वी) गतिविधियों के लिए आवंटित परिव्यय 279.20 करोड़ रुपये है और जीएसआई के आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन गतिविधियों के लिए पूंजीगत परिव्यय 57.50 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, जीएसआई ने पांच मिशनों के तहत 2022-23 के दौरान सभी गतिविधियों को जारी रखने के लिए गतिविधि-वार वित्तीय परिव्यय बनाया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में अधिक खनिज संभावित क्षेत्र को लक्षित करने के लिए विशेष रूप से सर्वेक्षण और मानचित्रण, खनिज अन्वेषण में सभी गतिविधियों को जारी रखने के लिए भौतिक लक्ष्य बढ़ाए गए हैं।

2.10 यह भी बताया गया है कि जीएसआई 2022-23 के फील्ड सीजन कार्यक्रम के अनुसार सभी परियोजनाओं के समय पर निष्पादन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। जीएसआई मिशन (I से V) के संबंध में, जिसके लिए 27920 करोड़ रुपए आबंटित परिव्यय है, समिति को निम्नलिखित मिशन-वार ब्यौरे के बारे में सूचित किया गया:-

क) सर्वेक्षण एवं मानचित्रण शीर्ष (मिशन-I) के अंतर्गत भारतीय पोत परिवहन निगम (एससीआई) को जीएसआई जहाजों के प्रचालन और अनुरक्षण, टीओएएसएस एयरबोर्न सर्वे सिस्टम के प्रचालन और अनुरक्षण, भू-सर्वेक्षण परियोजनाओं के निष्पादन जैसे विशेष विषयगत मानचित्रण (एसटीएम), भू-रासायनिक मानचित्रण (जीसीएम), भूभौतिकीय मानचित्रण (जीपीएम) आदि के लिए 108. 92 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

ख) खनिज अन्वेषण (मिशन-II) शीर्ष के अंतर्गत जीएसआई के खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए 52.70 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं जिनमें आउटसोर्स ड्रिलिंग के लिए भुगतान भी शामिल है। जीएसआई देश के विभिन्न भागों में ऊर्जा खनिजों (कोयला और लिग्नाइट) सहित विभिन्न खनिज जिंसों के लिए संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष जी4, जी3 और जी-2 चरण अन्वेषण कार्यक्रम (यूएनएफसी के अनुसार) शुरू कर रहा है।

ग) सूचना एवं प्रसार (मिशन-III) के अंतर्गत, प्रकाशन और सूचना प्रौद्योगिकी कार्यालय व्यय के लिए 4550 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, जिनमें से 42.00 करोड़ रुपए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) - ओई शीर्ष के लिए आबंटित किए गए हैं, जिसमें ओसीबीआईएस के प्रचालन/अनुरक्षण, भूकंपीय उपकरणों के सीएएमसी, जीएसआई के

सभी कार्यालयों में आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद और आईटी के तहत अन्य विविध गतिविधियों से संबंधित भुगतान शामिल हैं। जीएसआई के प्रकाशनों/ई-पत्रिकाओं की छपाई, हार्ड कॉपी पत्रिकाओं की खरीद आदि के लिए प्रकाशन शीर्ष के अंतर्गत 3. 50 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

घ) मिशन-IV के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप के लिए 15. 50 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं; बहु-विषयक 'विशेष जांच' के लिए 3.40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और अंटार्कटिका में ध्रुवीय अध्ययन के लिए 0.08 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।.

(i) अनुसंधान एवं विकास शीर्ष के अंतर्गत मौलिक अनुसंधान और विकास कार्यक्रम, जीएसआई के प्रयोगशाला उपकरणों और उपस्करों की एएमसी, प्रयोगशाला उपभोग्य वस्तुओं की खरीद और नमूनों के रासायनिक विश्लेषण की आउटसोर्सिंग के लिए निधि का प्रावधान किया गया है।

(ii) विशेष जांच और अन्य अन्वेषण (अंटार्कटिका) के अंतर्गत भू-तकनीकी जांच के फील्ड कार्य के निष्पादन के लिए निधियों का प्रावधान किया गया है जैसे कि भूस्खलन अध्ययन, भूकंपीय अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन, ग्लेशियोलॉजी आदि और अंटार्कटिक, आर्कटिक क्षेत्रों के लिए अभियान, एएमसी से संबंधित विविध व्यय और भूकंपीय और भू-तकनीकी प्रयोगशालाओं के रखरखाव।

ङ) प्रशिक्षण (मानव संसाधन विकास)शीर्ष (मिशन-V) के अंतर्गत, विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों जैसे अभिविन्यास पाठ्यक्रम, विषयगत पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, जीएसआई कार्मिकों के साथ-साथ अन्य भूवैज्ञानिक संस्थानों के भू-वैज्ञानिकों के क्षमता निर्माण के लिए संवर्धन संबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए 200 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

2.11 2022-23 के दौरान आवंटित निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए विभिन्न चल रही और नई परियोजनाओं के समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए जीएसआई द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में,समिति को निम्नानुसार सूचित किया गया :

" जीएसआई ने 2022-23 के दौरान विभिन्न मिशनों के तहत सभी गतिविधियों के निष्पादन के लिए परिचालन इकाइयों द्वारा प्रस्तुत निधि की मांग की समीक्षा की है और बजट अनुदान को सभी मदों में

विवेकपूर्ण ढंग से आवंटित व्यय को प्राथमिकता देते हुए और परिचालन गतिविधियों के निष्पादन के लिए आवंटित किया गया है ताकि उपलब्ध निधि के साथ वर्ष 2022-23 के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जीएसआई के सभी क्षेत्रों/मिशनों, लेखा नियंत्रक और खान मंत्रालय के साथ तालमेल बनाकर विभिन्न मदों के तहत निधि के उपयोग की समय-समय पर निगरानी की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राजस्व और पूंजी शीर्षों के तहत जीएसआई के सभी कार्यों के निष्पादन के लिए आवंटित बजट अनुदान के बारे में निधियों के प्रभावी नियोजन और प्रबंधन के लिए, क्षेत्रों / मिशनों / समर्थन प्रणालियों के प्रमुखों को अग्रिम रूप से सूचित किया गया है।

2.12 इस संबंध में समिति को निम्नानुसार यह भी बताया गया :

" जीएसआई कार्यों के सुचारू संचालन के लिए 2022-23 के स्वीकृत बजट अनुदान प्राप्त करने के तुरंत बाद, 2021-22 के लंबित बकाया, यदि कोई हो, को प्राथमिकता दी जाएगी। अतः बजट अनुदान के उपयोग की समय-समय पर समीक्षा क्षेत्रीय/मिशन/सहायता प्रणाली के साथ की जाएगी ताकि निधियों के उपयोग की समय-सीमा तय की जा सके।2022-23 के दौरान सभी गतिविधियों के निष्पादन के लिए निधि की आवश्यकता में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, जीएसआई निधि के इष्टतम उपयोग के लिए छह महीने के बाद बजट की संशोधित मांग (राजस्व और पूंजी दोनों) प्रस्तुत करेगा।सभी वित्तीय लेनदेन भारत सरकार के पीएफएमएस मॉड्यूल के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाते हैं ताकि सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा फंड के उपयोग की स्थिति की निगरानी की जा सके। उपलब्ध वर्किंग विंडो (कार्य करने के समयावधि) के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्री-फील्ड गतिविधियों के दौरान उचित योजना बनाई जाएगी। वन क्षेत्र में ड्रिलिंग एवं सैम्पल संग्रहण हेतु आवश्यक वन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए यथासंभव प्रयास किये जायेंगे।साथ ही ड्रिलिंग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पैनल में शामिल आउटसोर्स ड्रिलिंग एजेंसियों को परियोजना के समय पर पूरा करने के लिए इन-हाउस ड्रिलिंग क्षमता के अलावा कुछ अन्वेषण परियोजनाओं में तैनात किया जाएगा।"

<u>जीएसआई का आधुनिकीकरण</u>

2.13 खान मंत्रालय के अनुसार, 2022-23 के दौरान, जीएसआई ने अपने आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन कार्यक्रम को पूरा करने के लिए 72.50 करोड़ रुपये की बजट मांग का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्तावित परिव्यय के प्रति जीएसआई को 57.50 करोड़ प्राप्त हुए। इस संबंध में यह पूछे जाने पर कि क्या वर्ष के दौरान जीएसआई की विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि प्रपट हुई है, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

" जीएसआई ने 2022-23 के दौरान विभिन्न प्रयोगशाला और क्षेत्र आधारित उपकरणों की खरीद की योजना बनाई है और आवंटित निधि का इष्टतम उपयोग होगा । छह महीने के बाद निधि की आवश्यकता का आकलन करने के बाद, जीएसआई निधि के इष्टतम उपयोग के लिए संशोधित मांग प्रस्तुत करेगा।

2.14 जीएसआई के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संबंध में वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया :

" जीएसआई को विश्व स्तरीय भूवैज्ञानिक संस्थान के रूप में स्थापित करने के लिए,क्षेत्र और प्रयोगशालाओं में क्षमताओं में सुधार के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम बहुत पहले शुरू किया गया है। महत्वपूर्ण भू-विज्ञान डेटा और उनके प्रसंस्करण, व्याख्या के साथ-साथ जीएसआई की परिचालन गतिविधियों का समर्थन करने में क्षमताओं में सुधार के लिए उच्च अंत मशीनरी और उपकरण चरणबद्ध तरीके से खरीदे जा रहे हैं।इस क्रम में, जीएसआई चरणबद्ध तरीके से विभिन्न भूवैज्ञानिक/भूभौतिकीय/रासायनिक प्रयोगशाला और क्षेत्र आधारित उपकरणों के साथ-साथ हाइड्रोस्टेटिक ड्रिल रिग की खरीद कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, कागज रहित कार्यालय प्राप्त करने के उद्देश्य से, जीएसआई ने ऑनलाइन कोर बिजनेस इंटीग्रेटेड सिस्टम (ओसीबीआईएस) पोर्टल लागू किया है।जीएसआई ने एकल खिड़की मंच में हितधारकों के उपयोग के लिए एक ही मंच पर सभी भूविज्ञान डेटा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा भंडार (एनजीडीआर) की स्थापना के लिए पहल की है। हाल के वर्षों में खरीदी गई और जीएसआई की विभिन्न प्रयोगशालाओं में कार्यशील महत्वपूर्ण मशीनरी में लेजर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ट्रिनोकुलर पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, लेजर एब्लेशन मल्टी कलेक्टर इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज़्मा मास स्पेक्ट्रोमीटर (एलए-एमसी-आईसीपी-एमएस), इलेक्ट्रॉन प्रोब माइक्रो एनालाइजर (ईपीएमए), ईडीएक्स, डीटी-टीजीए यूनिट, डीजीपीएस, ग्रेविमीटर, मैग्नेटोमीटर, जियोफिजिकल लॉगर आदि के साथ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (एसईएम) शामिल हैं। ये सभी हाई एंड उपकरण गुणवत्ता डेटा प्रदान करते हैं और जीएसआई के साथ-साथ देश के अन्य भूवैज्ञानिक संस्थानों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। 2021-2022 के दौरान, प्रमुख भूवैज्ञानिक रसायन, भूभौतिकीय और ड्रिलिंग उपकरणों को उपलब्ध कराने /खरीद की योजना बनाई गई है जिसमें , सहायक उपकरणों के साथ हाई -रिज़ॉल्यूशन माध्यमिक-आयन-मास-स्पेक्ट्रोमेट्री (एचआरएसआईएमएस), ऑटोमेटेड थिन सेक्शन मेकिंग मशीन, , लेजर एब्लेशन हाई रिज़ॉल्यूशन आईसीपीएमएस (एलए एच आर

आईसीपीएमएस),इलेक्ट्रॉन प्रोब माइक्रो अनेलाइज़र (ईपीएमए) ,ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर), कम्प्यूटराइज़्ड आटोमेटिक रॉक ट्राई - एक्सियल टेस्टिंग मशीन ,इनडक्टीवेली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री (आईसीपी-एमएस), एटॉमिक अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (एएएस), विभिन्न प्रकार के मिक्रोस्कोप्स ,संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र (एनएलएफसी), हाइड्रोस्टेटिक ड्रिलिंग रिग आदि के लिए बुनियादी ढांचा शामिल हैं ।ये उपकरण संगठन के समकालीन अनुसंधान और क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए बहुत प्रासंगिक होंगे।इनके अलावा, फंड के इष्टतम उपयोग के साथ 2021-22 के दौरान भूवैज्ञानिक, रासायनिक, भूभौतिकीय और भू-तकनीकी अध्ययनों के लिए विभिन्न अन्य उपकरणों की खरीद/खरीद की योजना भी बनाई गई थी।

2.15 समिति को यह भी सूचित किया गया कि :

" वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, खरीद के लिए नियोजित प्रमुख भूवैज्ञानिक रसायन, भूभौतिकीय और ड्रिलिंग उपकरणों में ड्रिलिंग सहायक उपकरण के साथ ट्रक माउंटेड / क्रॉलर माउंटेड हाइड्रोस्टैटिक ड्रिल रिग, जीपीआर, हैंड हेल्ड एक्सआरएफ, हैंड हेल्ड जीपीएस, पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप, रमन स्पेक्ट्रोस्कोप, एडवांस स्टीरियो ज़ूम माइक्रोस्कोप, थिन सेपरेशन प्रिपरेशन यूनिट, यूनीएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन, डीजीपीएस, ग्रेविमीटर, टोटल फील्ड मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मीटर, रेसिस्टिविटी मीटर, आईपी रेसिस्टिविटी मीटर, इको साउंडर, डिजिटल एमईक्यू रिकॉर्डर, रेडिएशन सर्वे मीटर, एक्सआरडी, डब्ल्यूडीएक्सआरएफ , आईसीपी-एमएस, आईआरएमएस, ऑडियोमैग्नेटोटेलुरिक्स यूनिट, स्पटर कोटर, स्क्रबर के साथ फ्यूम हुड, मफल फर्नेस, एएएस-जीटीए, प्लैनेटरी बॉल मिल्स, सिस्मोग्राफ सिस्टम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (एसईएम-ईडीएक्स), आइसोडायनामिक सेपरेटर, पार्टिकल साइज एनालाइजर आदि शामिल हैं।

अध्याय तीन

भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)

मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) खान मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है। यह देश के खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक विकास, खनिजों के संरक्षण, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिजों और गौण खनिजों के अलावा खानों में पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यह खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रासंगिक उपबंधों और खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988/2017 और खनिज रियायत नियम, 1960/2016 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाए गए नियमों नियमों के प्रवर्तन के संबंध में विनियामक कार्य करता है। यह खनन, भूवैज्ञानिक अध्ययन, अयस्क लाभ और पर्यावरणीय अध्ययन के विभिन्न पहलुओं में वैज्ञानिक, तकनीकी आर्थिक, अनुसंधान-उन्मुख अध्ययन करता है।

व्यय की प्रवृत्ति

3.2 वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए भारतीय खान ब्यूरो के बीई, आरई और वास्तविक व्यय के संबंध में विवरण निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
बीई	124.31	128.31	110.00
आरई	109.11	94.00	103.14
वास्तविक व्यय	94.55	85.67	82.24 (31.01.2022 तक)
व्यय का %	86.66	**91.13**	**79.73(31.01.2022**तक**)**

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि 2019-20 के दौरान, 124.31 करोड़ रुपये और 109.11 करोड़ रुपये के बीई और आरई के मुकाबले, आईबीएम केवल 94.55 करोड़ रुपये (86.66%) खर्च कर सका। 2020-21 के

दौरान, 128.31 करोड़ रुपये और 94.00 करोड़ रुपये के बीई और आरई के मुकाबले, आईबीएम केवल 85.67 करोड़ रुपये (91.13%) खर्च कर सका। 2021-22 के दौरान, बीई और आरई के 110.00 करोड़ रुपये और 103.14 करोड़ रुपये के मुकाबले, आईबीएम 82.24 करोड़ रुपये (79.73%) खर्च करने में सक्षम रहा है।

3.3 आरई, 2021-22 में आईबीएम के लिए आवंटित निधियों को संशोधित करके कम करने को देखते हुए, समिति ने इसके कारणों को जानना चाहा। उत्तर में, कमी का कारण रिक्त पदों का न भरा जाना ; कोविड-19 के कारण आधिकारिक दौरों और खानों के निरीक्षण की संख्या में कमी आना ; कार्यान्वयन एजेंसी मैसर्स विप्रो द्वारा खनन टेनमेंट सिस्टम (एमटीएस) के लिए काम रोकना और परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के रूप में मैसर्स एनआईएसजी की सेवाओं की समाप्ति तथा एनआईसी को एमटीएस के कार्यान्वयन के लिए काम का पुनः आवंटन; कोविड-19 के कारण नियोजित और निर्धारित प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जाना बताया गया।

3.4 मंत्रालय ने आगे यह भी बताया कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार आदिवासियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति समुदाय को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने वाली इसकी सतत योजनाओं के तहत निधि निर्धारित की गई, जन जातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएएसपी),अनुसूचित जन जतियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीएसपी) और एनईआर के तहत आवंटित बजट का उपयोग नहीं किया गया है। जनजातीय क्षेत्र उप-योजना, और एससीएसपी का उपयोग नहीं किया जा सका और जीएसआई को हस्तांतरित किया गया. एससीपीएससी और टीएएसपी के तहत निधि जीएसआई को हस्तांतरित कर दी गई है क्योंकि आईबीएम के पास इन मद शीर्षों के तहत व्यय करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

3.5 2021-22 के दौरान 103.14 करोड़ रुपये की आवंटित धनराशि के उपयोग के संबंध में, मंत्रालय ने समिति को आश्वस्त किया कि आरई, 2021-22 में आवंटित राशि का उपयोग, मद शीर्ष ओसीई (एनईआर) के तहत उपलब्ध निधियों को छोड़कर, पूरी तरह से किया जाएगा क्योंकि आईबीएम के पास ओसीई (एनईआर) के तहत खर्च करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

3.6 वर्ष 2022-23 के दौरान आईबीएम द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों के बारे में पूछे जाने पर, समिति को निम्नानुसार सूचित किया गया:

"आईबीएम, अपना कार्य अधिदेशित कार्यों के चार्टर जिसे दिनांक 3 नवंबर, 2014 के संकल्प संख्या 31/49/2014-एम.III, द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के लिए भेजा गया था और जो दिनांक 22 नवंबर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, के अनुसार करता है। "

3.7 2022-23 के दौरान की जा रही योजना-वार गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

क्रम संख्या	योजना संख्या और योजना का नाम	2022-23 में की जा रही गतिविधियां
1	**योजना संख्या 1: वैज्ञानिक और व्यवस्थित खनन, खनिज संरक्षण और खान पर्यावरण के लिए खानों का निरीक्षण।**	1. एमसीडीआर/एमपीआई/एमएसआई के लिए खानों का निरीक्षण 2. खनन योजना/खनन योजना की समीक्षा/एफ.एम.सी.पी. निपटान 3. खानों की स्टार रेटिंग
2	**योजना संख्या 2: खनिज सज्जीकरण अध्ययन - निम्न ग्रेड और उप-ग्रेड अयस्कों का उपयोग और पर्यावरण नमूनों का विश्लेषण**	1. अयस्क ड्रेसिंग जांच 2. खनिज परीक्षण 3. रासायनिक विश्लेषण 4. इन प्लांट अध्ययन
3	**योजना संख्या 3: प्रौद्योगिकीय उन्नयन और आधुनिकीकरण**	1. लंप-फाइन अध्ययन सहित तकनीकी परामर्श कार्य

		2. खनन अनुसंधान कार्य 3. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना 4. एमएसएस और सुदूर दृष्टि 5. जीआईएस प्लेटफॉर्म पर खनन पट्टों के भूमि उपयोग वर्गीकरण का सृजन
4	**योजना संख्या 4: विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से खानों और खनिजों पर डेटा का संग्रह, प्रसंस्करण, प्रसार**	1. प्रमुख प्रकाशन आईएमवाईबी सहित खान और खनिजों पर प्रकाशनों का विमोचन 2. खनिज एवं धातुओं के लिए मासिक एएसपी का प्रकाशन 3. 1.4.2020 कीस्थिति के अनुसारएनएमआई का अद्यतनीकरण 4. सलाहकार सेवाएं
5	**योजना संख्या 5: खनन टेनमेंट सिस्टम (एमटीएस) का कम्प्यूटरीकृत ऑनलाइन रजिस्टर**	एमटीएस के चरण Iऔर IIमॉड्यूल का विकास

विस्तृत वार्षिक योजना 2022-23 की तैयारी प्रगति पर है।

3.8 समिति द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान बजट राशि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आईबीएम द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत लिखित उत्तर दिया:

"यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजट परिव्यय का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है, निधियों के उपयोग और व्यय के प्रतिशत की निगरानी आईबीएम स्तर पर की जा रही है ताकि एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जा सके।

3.9 निम्नलिखित आईबीएम का "निगरानी तंत्र" है:

- वर्ष के दौरान वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों को अंतिम रूप देने के लिए आईबीएम के कार्यों के चार्टर के अनुसार और योजनाओं के उद्देश्यों के अनुसार वार्षिक योजना तैयार की जाती है।
- किसी विशेष वर्ष के लिए वार्षिक योजना के अनुसार, अधिकारियों के लिए जिम्मेदारियां तय करने वाली माह-वार/तिमाही-वार गतिविधियों के साथ एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाती है, वर्ष की शुरुआत में खान मंत्रालय को सूचित किया जाता है और कार्यान्वित किया जाता है।
- मासिक कार्यनिष्पादन प्रतिवेदन के माध्यम से आईबीएम के स्तर पर कार्य योजना के अनुसार मासिक प्रगति की निगरानी की जाती है और मासिक प्रगति मंत्रालय को अवगत करा दी जाती है।
- खान मंत्रालय समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रदर्शन की निगरानी करता है।
- कोयला और इस्पात पर स्थायी संसदीय समिति किसी विशेष वर्ष के लिए अनुदान मांगों के समय पर वार्षिक आधार पर आईबीएम के प्रदर्शन की निगरानी करती है।
- अगली योजना/वित्त आयोग में जारी रखने के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष एजेंसी द्वारा योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है।

अध्याय चार

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी)

मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) की स्थापना खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 9ग की उप-धारा (1) के अनुसरण में दिनांक 14 अगस्त, 2015 की अधिसूचना के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी जिसका उद्देश्य देश में खनिज गवेषण में तेजी लाना है ।एनएमईटी नियामवली को भी 14 अगस्त, 2015 को अधिसूचित किया गया था ।अधिनियम के अनुसार, खनन पट्टा और संभावित लाइसेंस-सह-खनन पट्टे के धारक, न्यास को रॉयल्टी के भुगतानों के साथ साथ राज्य सरकार को अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के 2 % के बराबर राशि का भुगतान करेंगे।

4.2 एनएमईटी का दो श्रेणी ढांचा है। न्यास का समग्र नियंत्रण, आवधिक समीक्षाएं और नीतिगत निर्देश शासी निकाय (जीबी) के पास है और न्यास के दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों का प्रबंधन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण कार्यकारी समिति (ईसी) करती है ।जीबी की अध्यक्षता माननीय खान मंत्री और ईसी की अध्यक्षता खान मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाती है। इसके अलावा, एनएमईटी वित्त पोषण के लिए अधिसूचित गवेषण एजेंसियों (एनईएज़) द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के तकनीकी और लागत सम्बन्धी मानकों के मूल्यांकन के लिए एक तकनीकी-सह-लागत समिति (टीसीसी) का भी गठन किया गया है।टीसीसी अनुमोदन हेतु ईसी को उपयुक्त प्रस्तावों की सिफारिश करती है।

4.3 वर्ष **2019-20, 2020-21** और **2021-22** के लिए खान मंत्रालय के बीई, आरई और वास्तविक व्यय के संबंध में विवरण निम्नवत हैं:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
बीई	150.00	150.00	100.00
आरई	110.00	90.00	125.00
वास्तविक व्यय	68.31	83.11	69.11 (1.01.2022 तक)
व्यय का %	**62.10**	**92.34**	**55.28(31.01.2022** तक**)**

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि 2019-20 के दौरान, ₹ 150.00 करोड़ और ₹ 110.00 करोड़ के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के मुकाबले, एनएमईटी केवल ₹ 68.31 करोड़ (62.10%) खर्च कर सका।2020-21 के दौरान, ₹ 150.00 करोड़ और ₹ 90.00 करोड़ के बीई और आरई के मुकाबले, एनएमईटी केवल ₹ 83.11 करोड़ (92.34%) खर्च कर सका। 2021-22 के दौरान, ₹ 100.00 करोड़ और ₹ 125.00 करोड़ के बीई और आरई के मुकाबले, एनएमईटी ₹ 69.11 करोड़ (55.28%) खर्च करने में सक्षम रहा है।

4.4 समिति द्वारा पूछे जाने पर, एनएमईटी को आरई 2021-22 में ₹ 125 करोड़ के आवंटन को बीई, 2021-22 में ₹ 100 करोड़ से बढ़ाने के कारण,मंत्रालय ने कहा है कि उसने अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों और केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ बेहतर बातचीत शामिल है।एनएमईटी ने राज्य के खनन और भूविज्ञान विभागों और राज्य खनिज विकास निगमों के लाभ के लिए खनिज अन्वेषण पर कार्यशालाओं की एक श्रृंखला के रूप में एक आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित किया।एनएमईटी द्वारा राज्य के डीजीएम और अन्य एनईए को खनिज अन्वेषण गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप, एनएमईटी द्वारा पिछले वर्ष से शुरू की गई अन्वेषण

परियोजनाओं में वृद्धि हुई है।इसके अलावा, एनएमईटी राज्य सरकारों को सफलतापूर्वक खोजे गए खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। जिसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा लेन-देन सलाहकार शुल्क की प्रतिपूर्ति, एनएमईटी के लिए परियोजना प्रस्तावों की तैयारी, उपकरण-अन्वेषण संबंधी मशीनरी की खरीद, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक्सपोजर विज़िट आदि के लिए किया जा सकता है।

4.5 मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में यह भी कहा है कि 125 करोड़ के बढ़े हुए आवंटन का 2021-22 में पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा।2020-21 के दौरान, एन एम ई टी द्वारा ₹164.69 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 14 परियोजनाओं को लिया गया। चालू वर्ष 2021-22 में, 700.10 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 16 परियोजनाओं को जनवरी, 2022 तक पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है।आरई 2021-22 में धन का बढ़ा हुआ आवंटन चल रही परियोजनाओं के खर्च के साथ-साथ 2021-22 के दौरान स्वीकृत नई परियोजनाओं पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए आवश्यक था।

4.6 यह पूछे जाने पर कि क्या 2022-23 के दौरान एनएमईटी को आवंटित ₹ 100 करोड़ की राशि एनएमईटी की चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत सूचित किया:

" वर्ष 2022-23 के लिए एनएमईटी ने 184 करोड़ रुपये के बी ई का अनुमान लगाया था। इसके स्थान पर, एनएमईटी को बी ई 2022-23 में 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष के दौरान नए अनुमोदनों और एनएमईटी द्वारा शुरू की गई नई पहलों सहित एनएमईटी अनुमोदित परियोजनाओं के लिए निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एनएमईटी की निधि आवश्यकताओं में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। आरई चरण के दौरान आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त बजट मांगा जाएगा।."

4.7 जहां तक 2022-23 के दौरान भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति/उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किए गए/उठाए जाने वाले अग्रिम उपायों का संबंध है, खान मंत्रालय ने निम्नवत सूचित किया है:

" एनईए को माइलस्टोन और संबंधित लागत के साथ किए जाने वाले कार्य के संबंध में अनुमानों की अवधि-वार चरणबद्धता प्रदान करने के लिए कहा गया है। परियोजना कार्य की नियमित निगरानी के लिए एनईए से चल रही परियोजनाओं की आवधिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है। एनएमईटी की तकनीकी-सह-लागत समिति के माध्यम से चल रही परियोजनाओं की तकनीकी समीक्षा नियमित आधार पर की जा रही है।"

अध्याय पांच

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

क . हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल):

वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल), भारत सरकार के खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीनस्थ एक मिनीरत्न श्रेणी-I कम्पनी है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 9 नवंबर, 1967 को संस्थापित किया गया और यह राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड से ताम्बे के भण्डार की खोज और दोहन सहित गलाने और परिशोधन से सम्बंधित सभी संयंत्रों, परियोजनाओं, योजनाओं और अध्ययनों को लेने के लिए भारत सरकार के उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। भारत में ताम्बा अयस्क के खनन में लगी हुई यह एकमात्र कंपनी है और ताम्बा अयस्क के सभी परिचालन खनन पट्टे की मालिक है और परिष्कृत तांबे (लंबवत एकीकृत कंपनी) का एकमात्र समेकित उत्पादक भी है।एचसीएल के प्रमुख कार्यकलापों में खनन, अयस्क शुद्धिकरण , गलाने, परिशोधन और परिशोधित ताम्बा धातु को कंटीन्यूअस कैस्ट्रोड (सीसीआर) में डाउनस्ट्रीम उत्पाद के रूप में परिवर्तित करना है।एचसीएल ने 2015-16 में मेसर्स एआरसीआईएल [एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड] से झगड़िया कॉपर लिमिटेड की संपत्ति का अधिग्रहण किया है और इसका नाम बदलकर जीसीपी (गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट) कर दिया गया है।इस अधिग्रहण के साथ, एचसीएल की अब पांच संचालित इकाइयां हैं - इनमें से राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में एक-एक इकाइयाँ हैं । बीएसई और एनएसई पर एचसीएल सूचीबद्ध कंपनी है जिसमें 66.14% इक्विटी भारत सरकार के स्वामित्व में है।

5.2 वर्ष 2019-20 के दौरान एचसीएल की विभिन्न गतिविधियों के लिए बीई, आरई और निधियों के वास्तविक उपयोग के संबंध में, समिति को निम्नलिखित जानकारी प्रदान की गई:

(रुपए करोड़ में)

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) विवरण	2019-20 (रुपए करोड़ में)		
	बीई	आरई	वास्तविक
विस्तार परियोजनाएं	402.00	402.00	205.86

ग्रीन फील्ड एक्सप्लोरेशन	10.00	10.00	3.81
प्रतिस्थापन और नवीकरण	8.00	8.00	18.24
खान विकास	180.00	180.00	225.05
योग	**600.00**	**600.00**	**452.96**

5.3 समिति को सूचित किया गया है कि एचसीएल की 2019-20 के दौरान वित्तीय आवश्यकताओं को मुख्य रूप से दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधार से और आंशिक रूप से आंतरिक उपार्जन से पूरा किया गया था और इसके लिए कोई बजटीय सहायता नहीं मांगी गई है।

5.4 विस्तार परियोजनाओं के मामले में लगभग 50% की कमी के संबंध में, समिति को निम्नवत सूचित किया गया है:

"यद्यपि आरई चरण में विस्तार परियोजनाओं के तहत लक्ष्य 402 करोड़ रुपये रखा गया है, लेकिन खान विस्तार और मौजूदा ठेकेदार के गैर-निष्पादन से संबंधित कुछ निविदाओं को देने में देरी के कारण व्यय की समान राशि प्राप्त नहीं की जा सकी। साथ ही, ग्रीन फील्ड एक्सप्लोरेशन के लिए व्यय प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि एचसीएल के पक्ष में कोई नया खान पट्टा प्रदान नहीं किया गया था।"

5.5 वर्ष 2019-20 के दौरान एचसीएल के विभिन्न कार्यकलापों के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उपलब्धि इस प्रकार हैं:-:-

विवरण	**2019-20**	
	लक्ष्य	**वास्तविक**
अयस्क (लाख टन)	51.50	39.68
मेटल-इन-कंसेंट्रेट (टन में)	33000	26502

5.6 यह बताया गया है कि मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट (एमसीपी) में ओपन कास्ट खदान की प्रमुख परियोजना में सामग्री की उपलब्धता कम थी जो अपनी अंतिम गहराई तक पहुंच चुकी है और ओपन कास्ट भूमिगत खनन से संक्रमण के चरण में है। इसके अलावा, लक्ष्य की तुलना में अयस्क और धातु-इन-कंसेंट्रेट का उत्पादन कम था और ऐसा मुख्य रूप से कोलिहान खदान में अयस्क उत्थापन प्रणाली के टूटने के कारण, एमसीपी और खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स (केसीसी) में निम्न ग्रेड के अयस्क के साथ-साथ केसीसी में पानी की कमी के कारण था ।2019-20 के दौरान अयस्क का समग्र ग्रेड 2018-19 में 0.88% के मुकाबले 0.75% था।

5.7 बीई, आरई और 2020-2021 के दौरान विभिन्न कार्यकलापों के लिए निधियों का वास्तविक उपयोग इस प्रकार था:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	**2020-21**		
	बीई	**आरई**	**वास्तविक**
विस्तार परियोजनाएं	235.00	170.00	188.73
ग्रीन फील्ड एक्सप्लोरेशन	10.00	5.00	8.62
प्रतिस्थापन और नवीकरण	15.00	15.00	5.71
खान विकास	340.00	170.00	169.30
योग	**600.00**	**360.00**	**372.36**

5.8 वित्त वर्ष 2020-21 के लक्ष्य की प्राप्ति न होने के कारण इस प्रकार हैं:

(क) भूमिगत और साथ ही ओपन कास्ट खानों में लॉकडाउन लगाने और कोविड-19 प्रोटोकॉल को बनाए रखने के कारण सभी केपेक्स परियोजनाओं के संचालन में ठहराव और धीमापन;

(ख) एमसीपी भूमिगत खान से खान विकास, उत्पादन ड्रिलिंग और अयस्क उत्पादन के लिए अनुबंध, जो पहले से ही मौजूद था, खान अधिनियम 1952 की धारा 22 के अनुसार डीजीएमएस द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण शुरू नहीं किया जा सका और कोविड-19 के कारण ठेकेदार द्वारा संसाधनों/उपकरणों को जुटाने से रोक दिया गया;

(ग) सूरदा खान की पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त करने में देरी, सूरदा खान के लक्षित कैपेक्स व्यय को पूरा नहीं किया जा सका;

(घ) चूंकि एचसीएल का अधिकांश केपेक्स बैंकों से दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के ऋणों के माध्यम से पूरा किया जा रहा था, और वित्त वर्ष 2019-20 के अंत में 4.21:1 के उच्च ऋण इक्विटी अनुपात के कारण, बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करना बेहद मुश्किल हो गया था।

5.9 यह आगे कहा गया है कि कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एचसीएल ने ऐसे केपेक्स पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई थी जो तत्काल उत्पादन देगा और राजस्व सृजन में मदद करेगा और केवल उन विकास कार्यों को जारी रखने के लिए जो आने वाले वर्षों में उत्पादन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।

5.10 वर्ष 2020-21 के दौरान एचसीएल के विभिन्न कार्यकलापों के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उपलब्धि निम्नानुसार हैं: -

विवरण	2020-21	
	लक्ष्य	वास्तविक
अयस्क (लाख टन)	43.00	32.73
मेटल-इन-कंसेंट्रेट (टन में)	34000	23866

5.11 मंत्रालय ने समिति को निम्नवत सूचित किया है:

"लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी की आपसी दूरी बनाए रखने के प्रोटोकॉल को बनाए रखने के कारण, खनन पट्टे का नवीकरण न होने की वजह से झारखंड के घाटशिला में सूरदा खान में उत्पादन के स्थगन के कारण, जो 31.03.2020 को समाप्त हो गया था, राजस्थान के खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स (केसीसी) में अयस्क की निम्न श्रेणी और पानी की कमी के कारण, एमसीपी, मध्य प्रदेश में खुले गड्ढे खान में निम्न श्रेणी के अयस्क जो अपनी अंतिम गहराई तक पहुँच चुके हैं और खुले गड्ढे से भूमिगत खनन में ट्रांज़ीशन के चरण में हैं, भारी बारिश से एमसीपी आदि में निचली बेंचों में खनन प्रभावित होने के कारण अयस्क और मेटल-इन-कंसेंट्रेट (एमआईसी)का उत्पादन लक्ष्य की तुलना में कम था।"

5.12 वर्ष 2021-22 (दिसंबर, 2021 तक) के दौरान विभिन्न गतिविधियों के लिए बीई, आरई और वास्तविक व्यय निम्नवत हैं:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	**2021-22**		
	बीई	**आरई**	**वास्तविक (दिसंबर'21 तक)**
विस्तार परियोजनाएं	170.00	170.00	212.45
हरित भूमि गवेषण	10.00	10.00	7.00
प्रतिस्थापन और नवीनीकरण	10.00	10.00	22.90
खान विकास	160.00	160.00	84.03
योग	350.00	350.00	326.38

5.13 इसमें यह भी आगे कहा गया है कि संभावना है कि कंपनी वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगी।

5.14 2021-22 (दिसंबर, 2021 तक) के दौरान एचसीएल की विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उपलब्धि निम्नानुसार हैं: -

विवरण	2021-22	
	लक्ष्य	वास्तविक (दिसंबर'21 तक))
अयस्क (लाख टन)	36.00	28.28
मेटल-इन-कंसेंट्रेट (एमआईसी) (टन)	32439	19075

5.15 यह कहा गया है कंपनी द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित 36.00 लाख टन अयस्क उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना है। तथापि, कोलिहान खान में क्रशिंग प्रणाली और होस्टिंग प्रणाली में प्रमुख अनुरक्षण कार्य के कारण एमआईसी उत्पादन में कमी आएगी। साथ ही एमआईसी का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है क्योंकि सुरदा खनन पट्टा दिनांक 01.04.2020से समाप्त हो गया है। हालाँकि, झारखंड सरकार ने दिनांक 06.01.2022 के आदेश द्वारा सुरदा खनन पट्टे की वैधता को 31.03.2040 तक बढ़ा दिया है। 2021-22 के दौरान समग्र कॉपर ग्रेड भी लक्ष्य की तुलना में कम है जिसके परिणामस्वरूप एमआईसी कम है। कंपनी द्वारा सूरदा माइंस से उत्पादन शुरू करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उत्पादन के लिए ठेका देने की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है। कंपनी 2022-23 के दौरान केंदाडीह माइंस से भी उत्पादन हासिल करेगी। साथ ही नई निर्माणाधीन एमसीपी भूमिगत खदानों से भी उत्पादन 2022-23 से शुरू होगा।

5.16 वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के योजना परिव्यय के बारे में पूछे जाने पर समिति को निम्नवत सूचित किया गया है::

> "एचसीएल का वर्ष 2022-23 के लिए ₹350 करोड़ का योजना परिव्यय है और यह निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।कंपनी की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एच सी एल ने ऐसे कैपेक्स , जो तत्काल उत्पादन देगा और राजस्व सृजन में मदद करेगा तथा आने वाले वर्षों में उत्पादन को बनाए रखने के लिए आवश्यक विकास

कार्यों को जारी रखने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है।कंपनी वर्ष 2022-23 में एमसीपी, केसीसी और आईसीसी से अधिकतम खान उत्पादन प्राप्त करने के लिए 350.00 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय का प्रस्ताव करती है।हालांकि, 2021-22 के बाद, एचसीएल ने बंद राखा तांबा खान को फिर से खोलने, संचालन और विस्तार, छपरी में नई भूमिगत खान के विकास और इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, झारखंड, भारत मेंनए कॉन्सेंट्रेटर प्लांट की स्थापना और कमीशनिंग के लिए माइन डेवलपर सह ऑपरेटर (एमडीओ) की नियुक्ति करके नई परियोजनाओं / स्कीमो को लक्षित किया है। एमडीओ की नियुक्ति से एचसीएल के पास कोई नकदी बहिर्वाह नहीं होगा।."

5.17 वर्ष 2022-23 के दौरान एचसीएल के विभिन्न कार्यकलापों के लिए वास्तविक लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

विवरण	**2022-23**
	लक्ष्य
अयस्क (लाख टन)	41.00
मेटल-इन-कंसेंट्रेट (एमआईसी) (टन)	28000

5.18 एचसीएल के लंबित खनन पट्टे, यदि कोई हो, के बारे में राज्य सरकार (सरकारों) से अनुमोदन के लिए पूछे जाने पर, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में सूचित किया है कि वर्तमान में झारखण्ड राज्य सरकार के पास राखा खनन पट्टे का विस्तार लंबित है। पट्टा 28.08.2021 को समाप्त हो गया और खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम 2015 के अनुसार अगले बीस वर्ष के लिए खनन के विस्तार के आवेदन को पहले ही समय पर लागू किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है।

5.19 चालू और नई परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए एचसीएल द्वारा किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित अग्रिम उपायों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने जवाब में समिति को सूचित किया है कि एचसीएल चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए परियोजनाओं की स्थिति की सख्ती से निगरानी करती है।

अध्याय-छह

क. नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड। (नाल्को):

5.20 नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) 7 जनवरी, 1981 को स्थापित एक अनुसूची 'क ' नवरत्न सीपीएसई है। यह देश में सबसे बड़े एकीकृत बॉक्साइट - एल्युमिना - एल्युमिनियम- पावर कॉम्प्लेक्स में से एक है। वर्तमान में, भारत सरकार के पास प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 51.28 प्रतिशत है।कंपनी ओडिशा के कोरापुट जिले के दमनजोडी में पिट हेड एल्यूमिना रिफाइनरी और अंगुल में एल्युमीनियम स्मेल्टर और कैप्टिव पावर प्लांट के लिए अपनी कैप्टिव पंचपटमाली बॉक्साइट खानों का संचालन कर रही है।हरित पहल के एक भाग के रूप में, नालको ने कार्बन तटस्थता के लिए मिल जुलकर काम करने हेतु भारत में विभिन्न स्थानों पर 198 मेगावाट पवन विद्युत् संयंत्र और अपने परिसर की छत पर सौर 800 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर संयंत्रों की स्थापना की है ।1987 से पहले वाणिज्यिक संचालन के दिनों से कंपनी ने पिछले 34 वर्षों से लगातार मुनाफा कमाया है।वैश्विक महामारी कोविड -19 के बावजूद, नाल्को ने वित्त वर्ष 20-21 में क्रमशः ₹8,869.29 करोड़ और ₹1,299.56 करोड़ का प्रभावशाली शुद्ध कारोबार और शुद्ध लाभ दर्ज किया है। कंपनी न तो लाभ उठा रही है और न ही भारत सरकार से कोई बजटीय सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव करती है।योजना परिव्यय पूरी तरह से आंतरिक संसाधनों के माध्यम से ही प्रबंधित किया जा रहा है।

5.21 समिति ने देखा है कि पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) योजना 2020-21 ₹ 951.93 करोड़ थी और वास्तविक ₹ 1000.17 करोड़ थी। 2021-22 के दौरान पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) योजना ₹1500.00 करोड़ थी, हालांकि, वास्तविक ₹909.61 करोड़ (दिसंबर 2021 तक) थी। बजट अनुमान 2022-23 में अब ₹ 1800.00 करोड़ परिव्यय की योजना बनाई गई है।

5.22 मार्च, 2022 तक खर्च के संभावित आंकड़ों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने कहा है कि मार्च 2022 तक ₹ 1500 करोड़ का लक्ष्य हासिल किए जाने की संभावना है।

5.23 जब समिति ने 2022-23 के दौरान निधियों के समुचित उपयोग और विभिन्न चालू योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए नाल्को द्वारा की जा रही अग्रिम कार्रवाई/उपायों की मांग की, तो मंत्रालय ने जवाब में कहा:

"मैसर्स केपीएमजी स्वतंत्र रूप से चल रही परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने और परियोजनाओं की समय पर प्रगति/पूर्णता को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है।परियोजना प्रगति की निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड लगाए गए हैं। परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए परियोजना स्थलों पर समर्पित टीमें मौजूद हैं। इसके अलावा प्रमुख पैकेजों की प्रगति पर उच्च प्रबंधन द्वारा समय-समय पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि समय पर परियोजना के कार्यों में तेजी लाई जा सके।"

5.24 उत्कल डी एंड ई कोयला खदान परियोजना के लिए 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान बजटीय आवंटन क्रमशः ₹26.00 करोड़, ₹30.00 करोड़ और ₹40.00 करोड़ था।इसके विपरीत, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान वास्तविक व्यय क्रमशः ₹14.74 करोड़ ₹19.77 करोड़ और ₹34.09 करोड़ था।

5.25 पिछले 3 वर्षों के दौरान इस योजना के तहत निधियों के कम उपयोग के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत बताया है:

"उत्कल-डी एंड ई कोयला ब्लॉक कैपेक्स के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बीई और आरई दोनों में ₹ 26.00 करोड़ प्रदान किए गए थे, इसके मुकाबले, ₹ 14.7 करोड़ खर्च किए जा सकते थे। इसके अलावा, उत्कल-डी कोल ब्लॉक शुरू में उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएमसी), ओडिशा राज्य सरकार का एक पीएसयू ,को आवंटित किया गया था।ओएमसी ने उक्त कोयला ब्लॉक के विकास के लिए मेसर्स सैनिक माइनिंग एंड एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एसएमएएसएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई। बाद में, उत्कल-डी कोयला ब्लॉक का कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवंटन वापस लिया गया था।अंतरिम अवधि के दौरान यानी उक्त कोयला ब्लॉक के आवंटन से लेकर आवंटन रद्द करने तक , जेवी कंपनी ने कुछ बुनियादी ढांचे का विकास किया। 2016 के दौरान उत्कल-डी कोयला ब्लॉक को नाल्को के पक्ष में पुनः आबंटित किया गया था, परिणामतः पूर्व पट्टेदार द्वारा किए गए विकास की लागत नाल्को द्वारा देय थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के पूंजीगत बजट में ₹9.39 करोड़ का बजट प्रावधान अनंतिम रूप से किया गया था।जेवी कंपनी का परिसमापन हो गया और दोनों जेवी भागीदारों द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सका कि नाल्को द्वारा ओएमसी या एसएमएएसएल को भुगतान जारी किया जाएगा या नहीं। अंतिम रूप दिए जाने तक, किसी भी संयुक्त उद्यम भागीदार या संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा कोई मांग नहीं की गई थी, परिणामस्वरूप अनंतिम बजट राशि जारी नहीं की गई थी, जिससे कैपेक्स की कमी हुई।"

5.26 इस संबंध में, समिति को आगे निम्नवत सूचित किया गया:

"इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बीई और आरई में ₹30.00 करोड़ का प्रावधान है, जिसकी तुलना में ₹19.77 करोड़ का खर्च किया जा सकता है। ऊपर बताए गए कारणों के कारण, ₹9.39 करोड़ की अवैतनिक राशि को भी 2019-20 के बजट में शामिल किया गया था, फिर से यह अनुमान लगाते हुए कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग बढ़ने की संभावना है। पूर्ववर्ती जेवी कंपनी और उसके भागीदारों द्वारा निर्णय को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका अर्थात कौन भुगतान प्राप्त करेंगे। नतीजतन, कमी हुई और भविष्य में मांग की प्राप्ति के खिलाफ भुगतान जारी करने का निर्णय लिया गया।वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में ₹40.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध ₹34.09 करोड़ खर्च किए जा सकते थे।उत्कल -ई कोल ब्लॉक के एनपीवी के लिए स्टेज-वन मंजूरी (एफसी) की प्रत्याशा में बजट में ₹ 6.00 करोड़ प्रदान किए गए थे।एफसी बाद के वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ था और भुगतान जारी किया गया था।"

5.27 मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री से यह देखा गया है कि **2021-22** में **₹ 40.50** करोड़ आवंटित किए गए थे और वर्ष **2022-23** के लिए **₹ 25.00** करोड़ उत्कल डी एंड ई कोयला खदान परियोजना के लिए आवंटित किए गए हैं।समिति ने जानना चाहा कि क्या **2021-22** के दौरान आवंटित धन का उपयोग किया जाएगा, यदि नहीं, तो कारण बताएं।इस संबंध में मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष **2021-22** में **₹40.50** करोड़ के कैपेक्स लक्ष्य के मुकाबले दिसंबर, **2021** तक **₹30.14** करोड़ की राशि खर्च की गई है।कंपनी पूरी बजट राशि का उपयोग करने के लिए काफी आशान्वित है।

5.28 वर्ष **2022-23** के लिए इस परियोजना के तहत आवंटित **₹ 25.00** करोड़ का उपयोग करने के लिए उठाए गए अग्रिम कदमों के संबंध में, मंत्रालय ने निम्नवत कहा है:

"परियोजना की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, **₹ 25.00** करोड़ प्राप्त होने की संभावना है क्योंकि नाल्को ने खान डेवलपर सह ऑपरेटर को नियुक्त किया है जो वर्ष **2022-23** के दौरान परिचालन शुरू करेगा। नालको द्वारा वित्त पोषित कुछ कार्य उनके कार्यक्षेत्र में हैं, जिससे आवंटित निधियों के उपयोग में सुविधा होगी।"

अध्याय – छह

जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) और प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई)

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) का उद्देश्य खनन क्षेत्रों में स्थानीय व्यक्तियों के समावेशी विकास हेतु लंबे समय से चली आ रही मांगों का समाधान करना है। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 के अनुसार, डीएमएफ के लिए निधियां मौजूदा खनिकों द्वारा रॉयल्टी के 30% और 12 जनवरी, 2015 से जिन खनिकों को खाने दी गई हैं उनके द्वारा 10% के अतिरिक्त योगदान से पूरी की जाएंगी । इसके अतिरिक्त एमएमडीआर अधिनियम को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021 के माध्यम से 28.03.2021 से संशोधित किया गया है।एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9बी की उप-धारा (5) और (6) में संशोधन किया गया है ताकि विभिन्न श्रेणियों की खानों द्वारा भुगतान की जाने वाली डीएमएफ की दरों को स्पष्ट किया जा सके ।

6.2 समिति ने "जिला खनिज फाउंडेशन तथा प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कार्यान्वयन" पर अपनी 47वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) पर की गई कार्रवाई के उत्तरों से अवलोकन किया था कि डीएमएफ/पीएमकेकेकेवाई को संशोधित किया जा रहा था और डीएमएफ की संरचना, डीएमएफ के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों को प्राथमिकता, डीएमएफ/पीएमकेकेकेवाई की निगरानी, डीएमएफ के लेखों की लेखापरीक्षा , डीएमएफ कार्यनिष्पादन पर जनता की प्रतिक्रिया की आवश्यकता आदि से संबंधित समिति की सिफारिशें की जा रही थीं। सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और उक्त दिशानिर्देशों के संशोधन के दौरान उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।

6.3 मंत्रालय ने समिति को डीएमएफ/पीएमकेकेकेवाई के दिशानिर्देशों में संशोधन के संबंध में वर्तमान स्थिति से अवगत कराया है जो इस प्रकार है:

"खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 9ख की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार, केंद्र सरकार को जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा निधियों के संयोजन और उपयोग के संबंध में निर्देश देने का अधिकार दिया गया है। . खान मंत्रालय ने पाया कि शासी परिषद और प्रबंध समिति की संरचना अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है।इसके अलावा, चूंकि डीएमएफ खनन प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के हित और लाभ के लिए काम करने के लिए है, इसलिए यह आवश्यक है कि जिले का प्रशासनिक प्रमुख डीएमएफ का अध्यक्ष हो और जिले में खनन प्रभावित क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शासी परिषद के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाए । इस प्रकार, मंत्रालय ने 23 अप्रैल, 2021 को एक आदेश जारी किया जिसमें डीएमएफ की शासी परिषद में एमपी/एमएलए/एमएलसी का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। डीएमएफ से किसी भी राज्य स्तरीय एजेंसी को धन के हस्तांतरण को रोकने के लिए, जो योगदान जमा करने और जिला स्तर पर डीएमएफ की स्थापना के उद्देश्य को विफल करती है, को निधि अंतरण से बचने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा 12 जुलाई, 2021 को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि जिला खनिज फाउंडेशन निधि को राज्य स्तर पर किसी भी निधि में अंतरित करने से बचना चाहिए। साथ ही जिला खनिज फाउंडेशन की निधि में से किसी व्यय की स्वीकृति या अनुमोदन राज्य स्तर पर राज्य सरकार या किसी राज्य स्तरीय एजेंसी द्वारा नहीं किया जायेगा।

6.4 समिति ने अपनी पिछली रिपोर्ट (9वीं रिपोर्ट, 17वीं लोकसभा) में 2015-16 से 2018-19 तक खनिज समृद्ध राज्यों के संबंध में डीएमएफ के ऑडिटिंग के बयानों से भी देखा था कि कुछ राज्यों के संबंध में डीएमएफ की लेखापरीक्षा स्थिति वर्ष 2015-16 से 2018-19 के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थी।इसके अलावा, चूककर्ता राज्यों के विरुद्ध मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी।

6.5 इस संबंध में, खान मंत्रालय ने सूचित किया है कि पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, डीएमएफ के लेखे की हर साल डीएमएफ द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य तरीके से लेखा परीक्षा की जानी है, और रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखी जानी चाहिए।खान मंत्रालय लेखापरीक्षा स्थिति पर राज्यों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करता है। मंत्रालय को अब तक वर्ष 2019-2020 तक लेखापरीक्षा की स्थिति प्राप्त है। खान मंत्रालय राज्यों को डीएमएफ की ऑडिटिंग की आवश्यकता और तात्कालिकता को दोहराता रहा है और राज्यों को बार-बार रिमाइंडर भेज रहा है (3 दिसंबर, 2019, 27 जनवरी, 2020, 15 अक्टूबर, 2020), इसकी अनिवार्यता राज्यों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस (11 दिसंबर, 2018, 25 जून, 2019, 19 अगस्त, 2019, 17 जनवरी, 2020, 14 फरवरी, 2022) में भी सूचित किया गया था।इसके अलावा, केंद्रीय (परियोजना प्रबंधन इकाई) पीएमयू डीएमएफ से संबंधित डेटा के साथ-साथ डीएमएफ फंड के नियमित ऑडिट के संबंध में अनुस्मारक भेजने के लिए राज्यों के साथ समन्वय कर रहा है।

भाग-दो

समिति की टिप्पणियाँ / सिफ़ारिशें

1. समिति नोट करती है कि खान मंत्रालय ने जीएसआई, आईबीएम, एस एंड टी कार्यक्रम, सचिवालय (उचित), द्वापरा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं, स्वायत्त निकायों को सहायता अनुदानआदि हेतु वर्ष 2022-23 के लिए 1742.85 करोड़ रुपये (राजस्व और पूंजी के अंतर्गत)परिव्यय का प्रस्ताव रखा हालांकि, वित्त मंत्रालय ने केवल 158.00 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन (राजस्व और पूंजी के अंतर्गत)रखा। 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान भी, जब खान मंत्रालय ने 1954.75 करोड़ रु. 1997.86 करोड़ और रु. 1828.28 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा था, वित्त मंत्रालय ने क्रमशः 1675.55 करोड़ रुपए, 1701.40 करोड़ रुपये और 1466.82 करोड़ रुपए आवंटित किए। पिछले वर्षों के दौरान खान मंत्रालय के व्यय के विश्लेषण से पता चलता है कि मंत्रालय का बजटीय आवंटन संशोधित अनुमान के स्तर पर कम किया गया था और वास्तविक व्यय और भी कम रहा। 2019-20 के दौरान, 1675.55 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन संशोधित अनुमान के स्तर पर 1528.22 करोड़ किया गया और व्यय 89.42% था। इसी तरह, 2020-21 के दौरान, 1701.40 रुपये के बजटीय आवंटन में कमी करके संशोधित अनुमान के स्तर पर 1370.68 करोड़ किया गया और व्यय 98.15% था। 2021-22 के दौरान भी, मंत्रालय 1480 करोड़ रुपये के मामूली लक्ष्य का 88.88% खर्च करने में सक्षम रहा है (18.02.2022 तक)। इसलिए, समिति खान मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि बजटीय अभ्यास को अधिक सार्थक और सटीक बनाने के लिए वास्तविक अनुमानों पर धन की आवश्यकता का आकलन किया जाए।

2. समिति यह जानकर प्रसन्न है कि खान मंत्रालय ने 28.03.2021 को अधिसूचित खान और खनिज(विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर) में संशोधन किया है। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021 का उद्देश्य देश में खनिज उत्पादन को बढ़ाना, व्यापार करने में आसानी में सुधार करना और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में खनिज उत्पादन के योगदान को बढ़ाना है। 2021के इस संशोधन अधिनियम, में लाए गए कुछ प्रमुख सुधार: कैप्टिव और मर्चेंट खानों के बीच विभेद को दूर करना, सभी कैप्टिव खानों को एमएमडीआर अधिनियम की छठी अनुसूची के तहत निर्धारित अतिरिक्त राशि के भुगतान के अध्यधीन सम्बद्ध सयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के बाद वर्ष के दौरान उत्पादित खनिजों का 50% तक बेचने की अनुमति देना। इसके अलावा, भविष्य की सभी नीलामियां बिना किसी अंतिम उपयोग प्रतिबंध के होंगी। यदि राज्य सरकारें समयबद्ध नीलामी नहीं करती हैं, तो अधिनियम केंद्र सरकार को खदानों की नीलामी करने का अधिकार देगा। समिति को आशा है कि खान मंत्रालय राज्य के प्राधिकारियों और प्रभावित पक्षों के परामर्श से उक्त अधिनियम की धाराओं के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों/चिंताओं का समाधान करेगा और उन उद्देश्यों को पूरा करेगा जिनके लिए एमएमडीआर अधिनियम, 2021 लाया गया है।

जीएसआई का बजट परिव्यय

3. समिति ने नोट किया कि 1851 में अपनी स्थापना के बाद से, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने क्षेत्रीय स्तर की खोज के साथ देश के कोयले और खनिज संसाधनों की खोज और आकलन करने का कार्य शुरू किया । बाद के वर्षों में, जीएसआई ने विविध भू-वैज्ञानिक गतिविधियों को शुरू किया और परिणामस्वरूप, भू-विज्ञान के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दिया। समिति नोट करती है कि जीएसआई ने अपने पाँच मिशनों सर्वेक्षण और

मानचित्रण (मिशन I), खनिज अन्वेषण (मिशन II), सूचना प्रसार (मिशन III), विशिष्ट जांच (मिशन IV, अनुसंधान और विकास (मिशन Vको जारी रखने, प्रशासनिक और स्थापना व्यय में वृद्धि, यदि कोई हो,और 2022-23 के दौरान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए व्यय, के लिए निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में 1323.32 करोड़ (राजस्व 1250.82 करोड़ रुपये और पूंजी 72.50 करोड़ रुपये)का प्रस्ताव रखा था । हालांकि, जीएसआई को 1205.17 करोड़ रुपये (राजस्व 1147.67 करोड़ रुपये और पूंजी 57.50 करोड़ रुपये)का बजटीय अनुदान मिला है। । यह इस तथ्य के बावजूद है कि जीएसआई आवंटित धन का बेहतर उपयोग कर रहा है। 2019-20 के दौरान, जीएसआई ने 1028.55 करोड़ रुपये के आवंटन में से 1022.98 करोड़ रुपए (99.45%) का उपयोग किया। और 2020-21 के दौरान, 1116.24 करोड़ रुपये के आवंटन में सेजीएसआई ने 1110.94 करोड़ रुपए (99.53%)का उपयोग किया। साथ ही, 2021-22 के दौरान, जीएसआई ने देश में कोविड महामारी की दूसरी और तीसरी लहर के बावजूद 07.02.2022 तक आवंटित धन का 88.22% उपयोग किया है और शेष धनराशि का बेहतर उपयोग करने का आश्वासन दिया है। विभिन्न भू-वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए और देश के आर्थिक विकास के लिए जीएसआई के महत्व इसके योगदान को ध्यान में रखते हुए, समिति 2022-23 के दौरान जीएसआई के बजट आवंटन को बहुत मामूली मानती है और इसलिए सिफारिश करती है कि एक बार जीएसआई छह महीने के बाद अपनी निधि की आवश्यकता का आकलन करने के बाद निधि की संशोधित मांग प्रस्तुत कर देता है तो आरई चरण में उसके वित्तीय आवंटन को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

जीएसआई का आधुनिकीकरण

4. समिति को पता चलता है कि जीएसआई को विश्व स्तरीय भूवैज्ञानिक संस्थान के रूप में स्थापित करने के लिए, क्षेत्र और प्रयोगशालाओं में क्षमताओं में सुधार के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम बहुत पहले शुरू किया गया है। इस दिशा में, जीएसआई चरणबद्ध तरीके से विभिन्न भूवैज्ञानिक/भूभौतिकीय/रासायनिक प्रयोगशाला और क्षेत्र आधारित उपकरणों के साथ-साथ हाइड्रोस्टेटिक ड्रिल रिग की खरीद कर रहा है। ये सभी उच्च स्तरीय उपकरण गुणवत्ता डेटा उत्पन्न करते हैं और जीएसआई के साथ-साथ देश के अन्य भूवैज्ञानिक संस्थानों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। समिति आगे संतोष के साथ नोट करती है कि 2021-22 के दौरान भूवैज्ञानिक, रासायनिक, भूभौतिकीय और भू-तकनीकी अध्ययनों के लिए निधि का इष्टतम उपयोग करते हुए विभिन्न अन्य उपकरणों की खरीद की योजना बनाई गई है। समिति इस बात की सराहना करती है कि महत्वपूर्ण भू-विज्ञान डेटा की प्राप्ति और उनके प्रसंस्करण, निर्वचन के साथ-साथ जीएसआई की परिचालन कार्य कलापों तथा क्षमता में सुधार के लिए चरणबद्ध तरीके से उच्च श्रेणी की मशीनरी और उपकरण खरीदे जा रहे हैं। 2022-23 के दौरान आवंटित धन के इष्टतम उपयोग के लिए विभिन्न चल रही और नई परियोजनाओं के समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए जीएसआई द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में, समिति को यह बताया गया कि जीएसआई ने 2022-23 के दौरान पांच मिशनों के अंतर्गत सभी गतिविधियों के निष्पादन के लिए परिचालन इकाइयों द्वारा प्रस्तुत निधि की मांग की समीक्षा की है और बजट अनुदान को सभी मदों में विवेकपूर्ण ढंग से प्रतिबद्ध व्यय और परिचालन गतिविधियों के निष्पादन को प्राथमिकता देते हुए आवंटित किया गया है ताकि उपलब्ध निधि से वर्ष 2022-23 के भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। हालांकि, समिति ने पाया कि हालांकि जीएसआई ने आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रयोगशाला और क्षेत्र आधारित उपकरणों की खरीद के लिए 72.50 करोड़, रुपये

की बजटीय मांग का प्रस्ताव रखा था, परंतु उन्हें केवल 57.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। देश में खनिजों के अन्वेषण, सर्वेक्षण और मानचित्रण में जीएसआई की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, समिति का मानना है कि सभी प्रयोगशालाओं के चल रहे उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए जीएसआई को आवश्यक धन आवंटित करना उचित होगा। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि आरई चरण पर, मंत्रालय को जीएसआई के लिए धन की वास्तविक आवश्यकता का उचित आकलन करके मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ बात करनी चाहिए ताकि इसका आधुनिकीकरण कार्यक्रम लक्ष्य के अनुसार पूरा हो सके।

<u>आईबीएम</u>

5. समिति को यह जानकारी है कि आईबीएम, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए खानों के विनियामक निरीक्षण, खनन योजनाओं और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं की मंजूरी के माध्यम से देश में खनिज संसाधनों के (ऑनशोर तथा ऑफशोर दोनों) व्यवस्थित और वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देने के विचार से खनन, भूवैज्ञानिक अध्ययनों, अयस्क सुसज्जीकरण और पर्यावरणीय अध्ययनों के विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय-आर्थिक, अनुसंधान से जुड़े अध्ययन कराता है। तथापि, समिति नोट करती है कि विगत तीन वर्षों के दौरान आईबीएम को आवंटित निधियों में आरई चरण में कमी कर दी गई थी और उनका कम उपयोग किया गया। 2019-20 के दौरान 124.31 करोड़ रूपए और 109.11 करोड़ रूपए के बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) की तुलना में आईबीएम 94.55 करोड़ रूपए (86.66%) ही खर्च कर सका। पुनः, 2020-21 के दौरान 128.31 करोड़ रूपए और 94.00 करोड़ रूपए के बीई और आरई की तुलना में आईबीएम केवल 85.67 करोड़ रूपए (91.13%) खर्च कर सका। 2021-22 के दौरान 110.00 करोड़ रूपए और 103.14 करोड़ रूपए के बीई

और आरई की तुलना में आईबीएम केवल 82.24 करोड़ रूपए (79.73%) (31.01.2022 तक) खर्च कर पाया है। इसके अतिरिक्त, आरई 2021-22 में आवंटन को कम करने का कारण जैसे रिक्त पदों को न भरना वर्षों से लटक रहा है और समिति सिफारिश करती है कि इसका तत्काल समाधान किया जाए।

6. समिति यह समझती है कि खानों के कम अधिकारिक दौरे और निरीक्षण किए गए थे और वर्ष के दौरान कोविड-19 के कारण नियोजित और समयबद्ध प्रशिक्षण नहीं चलाए जा सके, समिति वस्तु शीर्ष अन्य पूंजी व्यय (एनईआर) के अंतर्गत आईबीएम को निधियों के आवंटन के कारण नहीं समझ पायी है जबकि आईबीएम की अन्य पूंजी व्यय (एनईआर) के अंतर्गत व्यय करने की कोई संभावना नहीं है। चूंकि, 2020-21 के दौरान भी वस्तु शीर्ष अन्य पूंजी व्यय (एनईआर) के तहत आईबीएम को निधियां आवंटित की गई थी इसलिए समिति यह महसूस करती है कि खान मंत्रालय को इस मामले का यथाशीघ्र तार्किक हल निकालने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए।

7. समिति यह नोट करके संतुष्ट है कि वर्ष के दौरान इष्टतम वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य हासिल करने के लिए आईबीएम ने वर्षवार/तिमाही-वार कार्यों के लिए जिम्मेदारी तय करने, मासिक निष्पादन रिपोर्ट के माध्यम से आईबीएम के स्तर पर निगरानी की गई कार्य योजना के अनुसार मासिक प्रगति की विस्तृत कार्य योजना तैयार की है और जिसकी मंत्रालय को सूचना दी जाती है तथा वे समीक्षा बैठकों इत्यादि के माध्यम से निष्पादन की निगरानी करते हैं। समिति को आशा है कि मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप आईबीएम अपनी विभिन्न योजनाओं जैसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित खनन के लिए खानों का निरीक्षण, खनन संरक्षण और खान पर्यावरण; खनिज सुसज्जीकरण अध्ययन-कम स्तर और घटिया स्तर के अयस्कों का उपयोग तथा पर्यावरणीय नमूनों का विश्लेषण; प्रौद्योगिकीय उन्नयन और आधुनिकीकरण; विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम

से खानों और खनिजों से संबंधित डेटा का संग्रहण, प्रसंस्करण, वितरण; और 2022-23 के दौरान खनन टेनमेंटस सिस्टम (एमटीएस) के कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन रजिस्टर के लिए निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य हासिल कर पाएगा। समिति को विश्वास है कि मंत्रालय, आगामी वर्षों में उक्त योजना के माध्यम से आईबीएम के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करेगा।

<u>एनएमईटी</u>

8. समिति पाती है कि 2019-20 के दौरान 150.00 करोड़ रूपए और 110.00 करोड़ रूपए के बीई और आरई की तुलना में एनएमईटी केवल 68.31 करोड़ रूपए (आरई का 62.10%) ही खर्च कर सका। फिर 2020-21 के दौरान 150.00 करोड़ रूपए और 90.00 करोड़ रूपए के बीई और आरई की तुलना में एनएमईटी 83.11 करोड़ रूपए (आरई का 92.34%) खर्च कर सका। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान 100.00 करोड़ रूपए और 125.00 करोड़ रूपए के बीई और आरई की तुलना में एनएमईटी जनवरी 2022 तक केवल 69.11 करोड़ रूपए (आरई का 55.28%) ही खर्च कर पाया। यह आवश्यक है कि खान मंत्रालय/एनएमईटी देश में खनिजों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने और इसके आयात को कम करने के लिए खनिज अन्वेषण क्रियाकलापों को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करे। तथापि, 2019-20 और 2020-21 के दौरान एनएमईटी के व्यय के लक्ष्यों में कमी और 2021-22 के दौरान संभावित कमी के मद्देनजर समिति खान मंत्रालय/एनएमईटी से आग्रह करती है कि वह यह सुनश्चित करे कि योजनागत व्यय का लक्ष्यों के अनुसार पूरी तरह से उपयोग किया जाए।

9. समिति नोट करती है कि 2022-23 के लिए एनएमईटी के प्रस्तावित 184 करोड़ रूपए के परिव्यय के तुलना में केवल 100 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। समिति को बताया गया है कि खान मंत्रालय ने अन्वेषण क्रियाकलापों को

बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों और केंद्र तथा राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ बातचीत भी शामिल है। एनएमईटी ने राज्य खनन और भूविज्ञान विभागों तथा राज्य खनिज विकास निगमों के लाभ के लिए खनिज अन्वेषण के संबंध में विभिन्न कार्यशालाओं के रूप में आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। और एनएमईटी द्वारा खनिज अन्वेषण क्रियाकलापों में राज्य भूविज्ञान और खनन निदेशालय (डीजीएम) और अन्य अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों (एनईए) को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष से एनएमईटी द्वारा चलाई जा रही अन्वेषण परियोजनाओं में वृद्धि हुई है। समिति को आशा है कि मंत्रालय/एनएमईटी द्वारा उठाए गए कदमों से वांछित परिणाम प्राप्त होंगे और 2022-23 के लिए निर्धारित 100 करोड़ रूपए के आवंटन का इष्टतम उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022-23 की पहली दो तिमाहियों के दौरान एनएमईटी द्वारा किए गए खर्च के आधार पर समिति यह भी सिफारिश करती है कि खान मंत्रालय/एनएमईटी को एनएमईटी के बजट को 184 करोड़ रूपए के स्तर तक बढ़ाने के मामले पर विचार करना चाहिए जैसाकि उन्होंने 2022-23 के लिए संशोधित बजट प्रस्तावों के समय अनुमान लगाया था।

<u>सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यनिष्पादन</u>

क. <u>एचसीएल</u>

10. समिति नोट करती है कि 2019-20 के दौरान 600 करोड़ रूपए के लक्ष्य के मुकाबले एचसीएल केवल 452.96 करोड़ रूपए का उपयोग कर सका। इसी प्रकार, एचसीएल अपना वास्तविक लक्ष्य हासिल नहीं कर सका और 51 लाख टन अयस्क और 33000 टन मेटल-इन-कंसंट्रेट (एमआईसी) के लक्ष्य की तुलना में एचसीएल केवल 39.68 लाख टन अयस्क और 26502 टन मेटल-इन-कंसंट्रेट (एमआईसी)

का उत्पादन कर सका। 2020-21 के दौरान 600 करोड़ रूपए के बीई में भारी कमी करके इसे 360 करोड़ रूपए कर दिया गया। हालांकि व्यय कुछ ज्यादा हुआ और कंपनी 372 करोड़ रूपए खर्च कर पाई। जैसाकि खान मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि लॉकडाउन लगाए जाने और अंडरग्राउंड तथा ओपन कास्ट खानों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के कारण सभी कैपेक्स परियोजनाओं के संचालन को बंद करना और धीमा करना लक्ष्यों को कम करने का एक कारण था। इसके परिणामस्वरूप, 43 लाख टन कॉपर अयस्क और 34000 टन मेटल-इन-कंसंट्रेट (एमआईसी) के वास्तविक लक्ष्य की तुलना में एचसीएल केवल 32.73 लाख टन अयस्क और 23866 टन मेटल-इन-कंसंट्रेट (एमआईसी) का उत्पादन कर सका। इसके अतिरिक्त, 2021-22 के दौरान यद्यपि एचसीएल के 350 करोड़ रूपए के वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना है फिर भी एमआईसी उत्पादन में कमी रहेगी और इसका कारण कोलिहान खदान में क्रशिंग प्रणाली और हॉस्टिंग प्रणाली में बड़ा रखरखाव कार्य है। इसके अतिरिक्त, सुरदा खनन पट्टा 01.04.2020 से समाप्त होने से एमआईसी का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। समिति को यह जानकारी है कि एचसीएल देश की विशिष्ट ऊर्ध्वाधर एकीकृत कॉपर उत्पादन कंपनी है क्योंकि यह खनन से सुसज्जीकरण, स्मेलटिंग, रिफाइनिंग और शोधित कॉपर धातु से डाउनस्ट्रीम विक्रय योग्य उत्पादों में ढालने के चरण तक कॉपर का उत्पादन करती है। इस पृष्ठभूमि में समिति यह महसूस करती है कि एचसीएल की देश में कॉपर के उत्पादन में बड़ी भूमिका है और इसलिए यह इष्टतम वार्षिक योजनागत लक्ष्यों को हासिल करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए समय पर सभी आवश्यक सुधारात्मक उपाय करेगी।

11. जहां तक सुरदा खनन पट्टे का संबंध है तो समिति यह नोटकर प्रसन्न है कि झारखंड सरकार ने दिनांक 06.01.2022 के आदेश द्वारा सुरदा खनन पट्टे के वैधता 31.03.2040 तक बढ़ा दी है। एचसीएल ने सुरदा माइंस के उत्पादन शुरू

करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और उत्पादन के लिए ठेका देने की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है। इसके अलावा, कंपनी ने आश्वासन दिया है कि वह 2022-23 के दौरान केंदाडीह माइंस से उत्पादन हासिल करेगी और नई निर्माणाधीन मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट (एमसीपी) भूमिगत खदानों से भी उत्पादन 2022-23 से शुरू होगा। मंत्रालय के उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर, समिति को उम्मीद है कि 2022-23 के दौरान, एचसीएल अपने 350 करोड़ रूपए के वित्तीय परिव्यय, 41 लाख टन अयस्क के भौतिक लक्ष्य और 28000 टन मेटल-इन-कंसेंट्रेट के उत्पादन का इष्टतम उपयोग करेगा।

12. समिति आगे यह भी नोट करती है कि 28.08.2021 को समाप्त हुए राखा खनन पट्टे का विस्तार करने का मामला में वर्तमान में झारखंड राज्य सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है। बताया गया है कि खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम 2015 के अनुसार अन्य बीस वर्षों की अवधि के लिए खनन के पट्टे और विस्तार का आवेदन पहले ही दिया जा चुका है। समिति सिफारिश करती है कि खान मंत्रालय/एचसीएल इस मामले को झारखंड राज्य सरकार के साथ सक्रियता से उठाएं और इस संबंध में समिति को अवगत कराएं।

ख. <u>नाल्को (एनएएलसीओ)</u>

13. समिति इस बात की सराहना करती है कि वैश्विक-19 महामारी के बावजूद, 2020-21 के दौरान, नाल्को ने क्रमशः 8869.29 करोड़ रूपए और 1299.56 करोड़ रूपए का उल्लेखनीय शुद्ध कारोबार और शुद्ध लाभ अर्जित किया है। इसके अलावा, यद्यपि 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) योजना 951.93 करोड़ रूपए थी तथापि वास्तविक व्यय बढ़कर 1000.17 करोड़ रूपए हो गया। समिति यह भी नोट करती है कि 2021-22 के दौरान, हालांकि पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) योजना को बढ़ाकर 1500.00 करोड़ रूपए का कर दिया गया, फिर भी वास्तविक व्यय

(दिसंबर 2021 तक) 909.61 करोड़ रूपए का ही है। मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि मार्च, 2022 तक 1500 करोड़ रूपए का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। समिति इस बात से प्रसन्न है कि नाल्को की चालू परियोजनाओं की प्रगति से निगरानी और इनकी समय पर प्रगति इन्हें समय पर पूरा करने के काम को सुगम बनाने के लिए मेसर्स केपीएमजी को स्वतंत्र रूप से इन कामों में लगाया गया है। परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए, डिजिटल डैशबोर्ड भी तैनात किए गए हैं और परियोजना की प्रगति की निगरानी के लिए परियोजना स्थलों पर समर्पित टीमें तैनात हैं। इसके अलावा, उच्च प्रबंधन द्वारा समय-समय पर प्रमुख पैकेजों की प्रगति की बारीकी से निगरानी की जा रही है ताकि परियोजना कार्यों में समय से तेजी लाई जा सके। इस पृष्ठभूमि में, समिति को विश्वास है कि नाल्को वित्त वर्ष 2022-23 में 1800 करोड़ रूपए की अपनी कैपेक्स योजना को इष्टतम तरीके से खर्च करने में सक्षम होगी।

14. समिति इस बात से अवगत है कि कोयला मंत्रालय ने कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार नाल्को को उत्कल डीएंडई कोल ब्लॉक्स आवंटित किया था। उत्कल डीएंडई कोल ब्लॉक के संबंध में आवंटित किया था। आवंटन समझौता भारत सरकार और नाल्को के बीच निष्पादित किया गया है। हालांकि समिति पाती है कि उत्कल डीएंडई को ज्वाइन प्रोजेक्ट के वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान वार्षिक योजना परिव्यय के उपयोग नहीं किया जा सका और क्रमशः 26.60 करोड़, 30.00 करोड़ और 40.00 करोड़ रूपए के वार्षिक योजना परिव्यय के मुकाबले वास्तविक व्यय क्रमशः 14.74 करोड़, 14.72 करोड़ और 34.04 करोड़ रूपए का हुआ। धन के उपयोग का जो कारण बताया गया है वह यह है कि उत्कल डी कोल ब्लॉक का आवंटन शुरू में उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन लि. (ओएमसी) को किया गया था जिसने उक्त कोल ब्लॉक के

विकास के लिए मेसर्स सैनिक माइनिंग एंड अलायड सर्विसेस लि. (एसएएएसएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम कम्पनी बनाई थी। हालांकि, वर्ष 2016 के दौरान उत्कल डी-ब्लॉक का आवंटन नाल्को को कर दिया गया और पहले के पट्टेदार द्वारा वहन की गई विकास लागत नाल्को से देय थी। 9.39 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान अनंतिम रूप से वित्त वर्ष 2018-19 के पूंजीगत बजट में किया गया था। संयुक्त उद्यम कंपनी का परिसमापन हो गया और इस कंपनी के दोनों ही पार्टनरों की ओर से यह निर्णय नहीं किया जा सका कि क्या नाल्को की ओर से भुगतान उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन (ओएमसी) की या एसएमएसएसएल को किया जाए। इसे अंतिम रूप दिए जाने का मामला लम्बित रहने के कारण संयुक्त उद्यम के किसी भी पार्टनर या संयुक्त उद्यम कम्पनी की ओर से कोई मांग नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप अनंतिम बजट राशि जारी नहीं की गई जिससे कैपेक्स में कमी आई। उन्हीं कारणों से वर्ष 2019-20 के बजट में 9.39 करोड़ रूपए की उस राशि को शामिल किया गया जिसका भुगतान नहीं किया गया था। इसके अलावा, स्टेज फॉरेस्ट क्लियरेंस (एफसी) के लिए बजट 2020-21 में 6.00 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जाए। उत्तरवर्ती वित्त वर्ष के फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गया और भुगतान जारी कर दिया गया। समिति का मानना है कि वर्ष 2021-22 के दौरान 40.50 करोड़ रूपए के संभावित परिव्यय की तुलना में दिसंबर, 2021 तक 30.14 करोड़ रूपए खर्च हुए है और संभावना है कि कम्पनी इस बजट राशि का पूरा-पूरा उपयोग करेगी। धन के कम उपयोग के कारणों को ध्यान में रखते हुए समिति ने यह राय है कि कंपनी के खराब प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी मसले को संबद्ध प्राधिकारियों के साथ तुरंत उठाते हुए इसे तत्काल हल किया जाना चाहिए। वर्ष 2022-23 के दौरान उत्कल `डी` एंड `ई` कोल ब्लॉक्स प्रोजेक्ट का 25.00 करोड़ रूपए का वार्षिक योजना लक्ष्य हासिल हो सके।

डीएमएफ कोष का उपयोग

15. समिति पाती है कि पीएमकेकेकेवाई के दिशानिर्देशों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कोषों का उपयोग संबंधित राज्य सरकारों के बनाए गए डीएमएफ नियमों के अनुरूप किया जा रहा है। डीएमएफ कोषों की वार्षिक लेखापरीक्षा की परिकल्पना की गई है। हालांकि, समिति ने अपने पिछले प्रतिवेदन (नौवां प्रतिवेदन, सत्रहवीं लोक सभा) में पाया कि खनिज सम्पन्न राज्यों के मामले में लेखापरीक्षा प्रतिवदेन कतिपय राज्यों के संदर्भ में प्रस्तुत नहीं किए। हालांकि, खान मत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2019-20 तक की लेखापरीक्षा संबंधी स्थिति प्राप्त हो गई है। मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज्यों से डीएमएफ की लेखापरीक्षा करने की जरूरत को लेकर संवाद स्थापित करने के अलावा निरंतर उन्हें अनुस्मारक के लिए राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करता रहा है। समिति को विश्वास है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन कोषों का उपयोग हो रहा है, डीएमएफ की वार्षिक लेखापरीक्षा की ओर पुरजोर तरीके से ध्यान देगी। डीएमएफ के गठन के प्रयोजन को करने के लिए महत्वपूर्ण व्यय संबंधी पीएमकेकेवाई दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन हेतु समिति की इच्छा है कि लेखापरीक्षा संबंधी स्थिति में प्रत्येक राज्य और खनन जिलों में प्राप्त हो।

16. समिति यह भी नोट करती है कि पीएमकेकेवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रतिवर्ष डीएमएफ को डीएमएफ के तहत धन उपयोग के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन वित्त वर्ष की समाप्ति की तिथि से तीन महीनों के भीतर तैयार करना होता है और इसे राज्य विधान सभा में रखना होता है। समिति चाहती है कि वर्तमान दिशानिर्देशों की राज्य-वार कार्यान्वयन संबंधी स्थिति से उन्हें अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली;
21 मार्च, 2022
30 फाल्गुन, 1943(शक)

राकेश सिंह
सभापति,
कोयला, खान और इस्पात
संबंधी स्थायी समिति

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) की मंगलवार, 22 फरवरी, 2022 को समिति कमरा सं. '2', ब्लॉक-ए, प्रथम तल, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई छठी बैठक का कार्यवाही सारांश ।

समिति की बैठक 1430 बजे से 1530 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री राकेश सिंह - सभापति

लोक सभा

2. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर
3. श्री कुनार हेम्ब्रम
4. श्री सी. लालरोसांगा
5. श्री एस.आर. पार्थिबन
6. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी
7. श्री चुन्नी लाल साहू
8. श्री अरूण साव
9. श्री पशुपति नाथ सिंह
10. श्री सुशील कुमार सिंह
11. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
12. डॉ. थोल तिरुमावलवन

राज्य सभा

13. डॉ. विकास महात्मे
14. डॉ. प्रशांत नन्दा
15. श्री बी.लिंग्याह यादव

सचिवालय

1.	श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री अरविन्द शर्मा	-	निदेशक
3.	श्रीमती गीता परमार	-	अपर निदेशक

साक्षी

खान मंत्रालय

1.	श्री आलोक टंडन	सचिव
2.	श्री संजय लोहिया	अपर सचिव और सीजी
3.	श्रीमती निरुपमा कोटरु	संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार
4.	डॉ. वीना कुमारी डी.	संयुक्त सचिव
5.	श्री शकील आलम	आर्थिक सलाहकार
6.	श्री साकेश प्रसाद सिंह	सीसीए (खान)

सरकारी क्षेत्र के खान उपक्रम

1.	श्री श्रीधर पात्रा	सीएमडी, नाल्को
2.	श्री राजेन्द्र सिंह गरखल	डीजी, जीएसआई (अतिरिक्त प्रभार)
3.	श्री अरुण कुमार शुक्ला	सीएमडी, एचसीएल
4.	डॉ. रंजीत रथ	सीएमडी, एमईसीएल

2. सर्वप्रथम, **माननीय** सभापति ने खान मंत्रालय के सचिव और अन्य प्रतिनिधियों के साथ-साथ इसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के प्रतिनिधियों का अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच करने के लिए आयोजित समिति की बैठक में स्वागत किया। माननीय सभापति ने कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में `लोक सभा अध्यक्ष के निदेश` के निदेश 55 की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया।

3. तत्पश्चात, खान मंत्रालय के सचिव ने समिति को प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, परमाणु खनिजों और कोयले के अलावा सभी खनिजों के सर्वेक्षण, अन्वेषण और खनन में खान मंत्रालय की भूमिका के बारे में जानकारी दी। **मंत्रालय के प्रतिनिधि ने** मंत्रालय द्वारा **एमएमडीआर अधिनियम**, 2021 **में संशोधनों के बाद** राज्य सरकारों की मदद से अधिक खनिजों की नीलामी करने हेतु किए गए प्रयासों **के बारे में बताया** ताकि देश में खनिजों का उत्पादन बढ़े और आयात कम से कम हो। उन्होंने आगे समिति को **वित्त** वर्ष 2021-22 के दौरान वित्तीय परिव्यय की तुलना में निधियों के वास्तविक उपयोग और **वित्त** वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित आवंटन तथा वास्तव में **बजटीय** आवंटित धन के बारे में जानकारी दी।

4. तत्पश्चात, खान मंत्रालय **के** संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान खान मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों के कार्यनिष्पादन और जीएसआई, भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) और सरकारी क्षेत्र के खान उपक्रमों द्वारा मार्च, 2022 तक आवंटित निधियों के इष्टतम उपयोग की योजना के संबंध में एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी। तत्पश्चात, खान मंत्रालय के अपर सचिव ने देश में खनिज उत्पादन में वृद्धि करने हेतु मंत्रालय द्वारा की गई कुछ **अन्य** पहलों **के बारे में बताया,** जैसे राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की स्थापना, प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई)/जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ), 2021, खनिज ब्लॉकों की खोज को प्रोत्साहित करना, सतत खनन के लिए **खानों की** स्टार रेटिंग की शुरुआत; जनवरी, 2021 में जारी राष्ट्रीय अलौह धातु स्क्रैप पुनर्चक्रण ढांचा, आदि।

5. तत्पश्चात, माननीय सभापति ने वर्ष 2022-23 के लिए खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों और मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान आवंटित निधियों के अल्प-उपयोग की संभावना से संबंधित मुद्दों के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछे। सदस्यों ने मंत्रालय की पावर-पॉइंट प्रस्तुति में उजागर किए गए मुद्दों पर भी स्पष्टीकरण मांगा। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सदस्यों के कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। माननीय सभापति ने खान मंत्रालय के सचिव को सदस्यों द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों के लिखित उत्तर दस दिन के भीतर देने के लिए कहा जिनके उत्तर समिति की बैठक के दौरान नहीं दिए गए थे ।

तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर बाहर चले गए।

समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।